Govt. Girls' College, Ajmer

Consolidated Budget Statement

Total Expenditure including salary component (in Rupees)

Financial Year	Govt Budget	College Development Council	RUSA	XII Plan (UGC)	Total budget
2017-18	64800450	1102233	7848832	*0*	*73751515*
2018-19	74415080	1104781	2643632	*0*	*78163493*
2019-20	103394730	1451263	2256000	*0*	*107101993*
2020-21	81025410	831659	1471111	*0*	*83328180*
2021-22	84151650	2204210	3204976	*0*	*89560836*

Total Expenditure excluding salary component (in Rupees)

Financial Year	Govt Budget	College Development Council	RUSA	RUSA OTHER	Total budget
2017-18	958270	34228	4712995	*8135837*	*8841330*
2018-19	382170	48501	225565	*2418067*	*3074303*
2019-20	550990	439334	2256000		*3246324*
2020-21	435950	75199	1471111		*1982260*
2021-22	267390		3204976		*4597766*

Expenditure for Infrastructure augmentation (in Rupees)

Financial Year	Govt Budget	College Development Council	RUSA	XII Plan (UGC)	Total budget
2017-18			2520628		**2520628**
2018-19					
2019-20					
2020-21					
2021-22		1000000	3204976		**4204976**

Expenditure on maintenance of Infrastructure only excluding salary (in Rupees)

Financial Year	Govt Budget	College Development Council	RUSA	XII Plan (UGC)	Total budget
2017-18	20000	31892	2192367	0	2244259
2018-19	19740	23413	225565	0	**268718**
2019-20	-	375369	2256000	0	**2631369**
2020-21	-	44658	1471111	0	**1515769**
2021-22	19850	26069	-	0	**45919**

INFRASTRUCTURE, ACADEMIC AND PHYSICAL FACILITIES MAITAINENCE

Financial Year	Govt Budget		College Development Council	RUSA	XII Plan (UGC)	Total budget
2017-18	20000	99930	31892	5326204	0	5480026
2018-19	19740	129874	23413	2643632	0	**2816659**
2019-20	-	159524	375369	2256000	0	**2790893**
2020-21	-	129850	44658	1471111	0	**1645619**
2021-22	19850	101180	26069		0	**147099**

MANJULA MISHRA

Digitally signed by MANJULA MISHRA
Date: 2023.04.01 16:51:26 +05'30'

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम
राजकीय कन्या महाविद्यालय

प्राचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर

(राशि सहस्त्रों में)

Government of Rajasthan

Financial Year : 2017-2018

Latest Budget Summary of 296-Govt.Girls College, Ajmer

BFC Type : State Fund

Budget Head : 2202-03-103-(14)-[01]

Head Type : Voted

Particulars	Received Amount	Distributed Amount	A.F.D.	Expenditure	Balance
01-संवेतन	70900.00	7057.82	63842.18	63842.18	0.00
03-यात्रा व्यय	55.00	0.18	54.82	54.82	0.00
04-चिकित्सा व्यय	35.00	0.32	34.68	34.68	0.00
05-कार्यालय व्यय	740.00	0.00	740.00	740.00	0.00
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
33-प्रयोगशाला व्यय	40.00	0.07	39.93	39.93	0.00
37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	8.85	0.00	8.85	8.85	0.00
57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
Total For (2202-03-103-(14)-[01])	**71858.85**	**7058.40**	**64800.45**	**64800.45**	**0.00**

प्राचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

A.F.D.: Availble amount in the office is sum of self office and Higher offce available amount

Balance : Amount for distribution (A.F.D. -Expenditure)

Government of Rajasthan

Financial Year : 2018-2019

Latest Budget Summary of 296-Govt.Girls College, Ajmer

BFC Type : State Fund

Budget Head : 2202-03-103-(14)-[01]

Particulars	Received Amount	Distributed Amount	A.F.D.	Expenditure	Balance
Head Type : Voted					
01-संवेतन	74500.00	467.09	74032.91	74032.91	0.00
03-यात्रा व्यय	31.00	0.05	30.96	30.96	0.00
04-चिकित्सा व्यय	70.00	63.81	6.19	6.19	0.00
05-कार्यालय व्यय	340.00	136.58	203.42	203.42	0.00
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	20.00	0.27	19.74	19.74	0.00
31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	15.00	0.03	14.97	14.97	0.00
33-प्रयोगशाला व्यय	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	10.80	3.90	6.90	6.90	0.00
57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
Total For (2202-03-103-(14)-[01])	**75086.80**	**671.72**	**74415.08**	**74415.08**	**0.00**

मंजुला
प्राचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

A.F.D.: Availble amount in the office is sum of self office and Higher offce available amount

Balance : Amount for distribution (A.F.D. -Expenditure)

(राशि सहस्त्रों में)

Government of Rajasthan

Financial Year : 2019-2020

Latest Budget Summary of 296-Govt.Girls College, Ajmer

BFC Type : State Fund

Budget Head : 2202-03-103-(14)-[01]

Particulars	Received Amount	Distributed Amount	A.F.D.	Expenditure	Balance
Head Type : Voted					
01-संवेतन	103899.00	1055.26	102843.74	102843.74	0.00
03-यात्रा व्यय	40.00	0.90	39.10	39.10	0.00
04-चिकित्सा व्यय	44.00	19.10	24.90	24.90	0.00
05-कार्यालय व्यय	335.00	0.05	334.95	334.95	0.00
31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	25.00	0.16	24.84	24.84	0.00
33-प्रयोगशाला व्यय	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	10.50	3.30	7.20	7.20	0.00
57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
Total For (2202-03-103-(14)-[01])	**104473.50**	**1078.77**	**103394.73**	**103394.73**	**0.00**

A.F.D.: Availble amount in the office is sum of self office and Higher offce available amount

Balance : Amount for distribution (A.F.D. -Expenditure)

(राशि सहस्त्रों में)

Government of Rajasthan

Financial Year : 2020-2021

Latest Budget Summary of 296-Govt.Girls College, Ajmer

BFC Type : State Fund

Budget Head : 2202-03-103-(14)-[01]

Particulars	Received Amount	Distributed Amount	A.F.D.	Expenditure	Balance
Head Type : Voted					
01-संवेतन	81478.00	888.54	80589.46	80589.46	0.00
04-चिकित्सा व्यय	14.00	0.67	13.33	13.33	0.00
05-कार्यालय व्यय	284.00	0.08	283.92	283.92	0.00
31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	20.00	5.15	14.85	14.85	0.00
33-प्रयोगशाला व्यय	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	10.50	1.65	8.85	8.85	0.00
57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
Total For (2202-03-103-(14)-[01])	**81921.50**	**896.10**	**81025.41**	**81025.41**	**0.00**

मंजुला

प्राचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर

A.F.D.: Availble amount in the office is sum of self office and Higher offce available amount

Balance : Amount for distribution (A.F.D. -Expenditure)

Government of Rajasthan

(राशि हजारों में)

Financial Year : 2021-2022

Latest Budget Summary of 296-Govt.Girls College, Ajmer

BFC Type : State Fund

Budget Head : 2202-03-103-(14)-[01]

Head Type : Voted

Particulars	Received Amount	Distributed Amount	A.F.D.	Expenditure	Balance
01-संवेतन	85620.00	2171.72	83448.28	83448.28	0.00
03-यात्रा व्यय	30.00	0.78	29.22	29.22	0.00
04-चिकित्सा व्यय	41.00	0.33	40.67	40.67	0.00
05-कार्यालय व्यय	372.00	0.01	371.99	371.99	0.00
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	20.00	0.15	19.85	19.85	0.00
31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	9.00	0.15	8.85	8.85	0.00
41-संविदा व्यय	268.00	130.20	137.80	137.80	0.00
57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
Total For (2202-03-103-(14)-[01])	**86455.00**	**2303.35**	**84151.65**	**84151.65**	**0.00**

A.F.D.: Availble amount in the office is sum of self office and Higher offce available amount

Balance : Amount for distribution (A.F.D. -Expenditure)

4.1.2 Percentage of expenditure, excluding salary for infrastructure augmentation during last five years (INR in Lakhs) & 4.4.1 Percentage of expenditure incurred on maintenance of infrastructure (physical and academic support facilities) excluding salary component during the last five years (INR in lakhs)					
Year	**Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakh)**	**Expenditure for infrastructure augmentation(INR in Lakh)**	**Expenditure on maintenace of academic facilities (excluding salary for human**	**Expenditure on maintenance of physical facilities**	**Total expenditure excluding Salary (INR in Lakh)**
2017-18	**25.2**	**25.2**	32.35	22.44	88.41
2018-19	0	0	25.47	2.68	30.74
2019-20	0	0	1.59	26.31	32.46
2020-21	0	0	1.29	15.15	19.82
2021-22	42.04	42.04	1.01	0.45	45.97

II विभागीय प्रति

1R 43/2019-20

राजस्थान सरकार

आंतरिक जांच दल सं 1 निरीक्षण विभाग मुख्यालय अजमेर

क्रमांक :– आ. जॉ. द. 1/2018–19/48 दिनांक : 01–07–2019

द्वितीय प्रति

श्रीमान् निदेशक,
निरीक्षण विभागराजस्थान,
वित्त भवन ए ब्लॉक चतुर्थ तल ज्योतिनगर
जयपुर

विषयः–आन्तरिक जॉच प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर (राज0) अवधि 2018–19

महोदय,

उपर्युक्त कार्यालय के लेखों की आन्तरिक जॉच (अवधि 2018–19 तक) दिनांक 03–06–2019 से 29–06–2019 तक 23 कार्यदिवस में ही नियत की गई है । तदनुसार यथास्थिति आन्तरिक जॉच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं से सम्बन्धित अनुच्छेद एवं पूर्व के बकाया प्रतिवेदन का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विवरण			
		अनु. संख्या	राशि रू. में	वर्गीकरण कोड
1	नकद शेष के सत्यापन में पाई गई अतिरिक्त/वसूली योग्य राशि	1	–	24
2	एफ. वी. सी. बिल्स की जॉच में पाई गई वसूली योग्य /अनियमितता की राशि	2	196219	25
3	चोरी/हानि/गबन के प्रकरणों की संख्या–	–	–	10
4	सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों में प्रकट हुई अनियमित भुगतान की राशि	3	–	19
5	वेतन, विशेष वेतन, बोनस, समर्पित अवकाश एवं मानदेय के अनियमित भुगतान की राशि		–	17
6	यात्रा भत्ता बिलों के अनियमित भुगतान की राशि	4	4355	26
7	चिकित्सा पुनर्भरण बिलों के अनियमित भुगतान की राशि	.	0	27
8	अनियमित क्रय सम्बन्धी प्रकरणों की राशि	5	33705	22
9	स्वीकृत किए गए अनुदानों की असमायोजित राशि		–	28
10	वाहनों की लॉगबुकों की जॉच में प्रकट हुई वसूली योग्य राशि		–	30
11	संविदा नियुक्तियों पर व्यय की गई अनियमित राशि	–		29
12	किराए के वाहनों एवं कम्प्यूटर (मय ऑपरेटर) पर किए गए अनियमित व्यय की राशि	–	–	33
13	रैस्पर एक्ट, 1999 के अधीन प्रकट हुई अनियमित भुगतान की राशि	–	–	32
14	आर. टी. आई. एक्ट, 2005 के तहत आरोपित शास्ति की राशि	–	–	34
15	अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रकट हुई वसूली	6	–	23
16	निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं निविदा प्रोसेसिंग शुल्क की राशि, जो राजकोष अथवा राजकॉम्प में जमा नहीं करवाई गई	–	–	15
17	बकाया ए सी / डी सी बिलों की राशि	–	–	18
18	चालान द्वारा जमा राशि के सत्यापन का अभाव	–	–	16
19	अग्रिम राशि के समायोजन की बकाया राशि	–	–	12
20	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	–	–	13
21	आवश्यकता का पूर्ण आंकलन किये यूजीसी व रूसा मद में संसाधनों का क्रय	7		21
22	पुस्तकों के क्रय में पायी गयी कमिया	8		
23				

संलग्नः–कार्यक्रम की प्रति
दैनिक कार्य डायरी
प्रतिवेदन मय पृष्ठसंख्या 1से 18
नमूनाजांच टिप्पणी भाग।।। 19से 21
परिशिष्ट मय पृष्ठ संख्या —
ज्ञापन मय पृष्ठ संख्या 23 से 24
प्रपत्र मय पृष्ठ संख्या 25 से 48
पूर्व प्रति. की अनुपालना X

प्रतिवेदन अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

प्रभारी अधिकारी
आन्तरिक जॉच दल संख्या 1
अजमेर

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन संख्या.....................

भाग–I (अ)

प्रस्तावना :– सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 12 (1) के प्रावधानानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 तक के लेखो की दिनांक 03–06–2019 से 29–06–2019 तक की अवधि की आन्तरिक जाँच की गई। विभाग का मुख्य कार्य उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन से संबधित है। जाँच अवधि में विभाग में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. विभाग का नाम :– प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर
2. कार्यालय के टेलीफोन नम्बर :– 0145–2627645
3. अंकेक्षण अवधि :– 2018–19
4. विभागाध्यक्षनाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा चेतन प्रकाश	प्राचार्य कार्यवाहक	01-09-2017 to 09-03-2019
2	डा स्नेह सक्सेना	प्राचार्य	10-03-2019 to 19-03-19
3	डा चेतन प्रकाश	प्राचार्य कार्यवाहक	20-03-2019 to continue

5. विभागाध्यक्ष का ई.मेल पता :–
6. विभाग के बरिष्ठतम लेखाधिकारी का नाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
–	–	–	–

7. कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री चेतन प्रकाश	उपाचार्य	01-09-2017 to continue

8. आहरणवितरण अधिकारी का नाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री चेतन प्रकाश	उपाचार्य	01-09-2017 to continue

9. भण्डार अधिकारी प्रभारी का नाम एवं अवधि:–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती अंजना बारहठ	व्याख्याता इतिहास	01-04-12 to 30-09-2018
2	श्रीमती मीनाक्षी जैन	व्याख्याता गृह विज्ञान	01-10-18 to continue

Scanned with CamScanner

10. सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार भुगतान का नाम एवं अवधि

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री ओमप्रकाश सेठी	सहायक लेखाधिकारी I	27-05-2015 to continue

11. रोकड़पाल नाम मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा. अरविंद कश्यप	व्याख्याता भौतिक शास्त्र	01-01-2017 to continue

12. भण्डारपाल स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर नाम मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती गरिमा राठौड़	लिपिक ग्रेड II	25-07-2016 to continue

13. जाँच दल प्रभारी एवं सदस्यों के नाम :–

क्रम स	नाम		अवधि	विवरण
1	प्रभारी	श्री गुलाब चन्द शर्मा पद सहायक लेखाधिकारी I	सम्पूर्ण	
2	सदस्य	श्री सुनील कुमार वाजपेयी पद सहायक लेखाधिकारी II	18-06-2019 से 29-06-2019	03-06-19 to 17-06-19 election duty
3	सदस्य	श्री हरिशंकर जाजू पद सहायक लेखाधिकारी II	सम्पूर्ण	

14. जाँच कार्य अवधि दिनांक 03–06–2019 से 29–06–2019 तक कुल कार्य दिवस– 23
विस्तृत जाँच के माह– मार्च व मई सितम्बर

हस्ताक्षर प्रभारी........
जाँच दल सं. ....01....
दिनांक....29-6-2019....

Scanned with CamScanner

भाग–1 (ब)

इस भाग में उन बिन्दुओं की सूचनात्मक स्थिति अंकित की जायेगी जिनमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है तथा जिनकी अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

1. गत निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा :–
महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जाँच, विशेष जाँच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपो की समीक्षा की गई। परिणाम निम्न प्रकार रहे:–

महालेखाकार/निरीक्षण विभाग की जाँच प्रतिवेदन

प्रतिवेदन संख्या	प्रथम अनुपालना प्राप्त अथवा नहीं	कुल बकाया आक्षेप	निरीक्षण दल द्वारा समीक्षा उपरान्त निरस्त हेतु प्रस्तावित अनुच्छेदों का विवरण	बकाया आक्षेप जिन्हें वर्तमान/नवीन प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया, का विवरण		निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन समीक्षा उपरान्त बन्द करने की अनुशंषा
				पूर्व जाँच प्रतिवेदन वर्ष एवं अनुच्छेद संख्या	वर्तमान अनुच्छेद की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन(समस्त)						
4/09 to 3/15	प्रेषित	03	–	–	–	–
योग 1 प्रतिवेदन		03				
निरीक्षण विभाग के आंतरिक जाच प्रतिवेदन (निदेशालय)						
165/ 17-18	प्रेषित	11				
176/18-19	प्रेषित	06				
2प्रतिवेदन		17				
भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (निदेशालय)						
0प्रतिवेदन0 पैराज						

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

प्रपत्रो की सूचना :–

2\.
आन्तरिक जाँच के 14 प्रपत्रों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:–

क्र. स.	प्रपत्र सं.	प्रपत्र का विवरण	प्रकरणो का विवरण	
1	1	वर्ष बजट प्रावधान के उपयोग की स्थिति	–	आधिक्य/बचत का विवरण संलग्न है।
2	2	महालेखाकार के बकाया आक्षेप	प्रतिवेदन की संख्या 1	बकाया आक्षेप 3
3	3	बकाया अंकेक्षण आपत्तियां	संख्या 0	राशि रू 0
4	4	ए.सी. एवं डी.सी. बिलो की स्थिति	–	–
5	5	विभागीय आन्तरिक जाँच दलों की उपयोगिता का विवरण	–लागू नही–	निरीक्षणो की कुल संख्या 0
6	6	निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन	प्रतिवेदन की संख्या 2	बकाया आक्षेपो की संख्या 17
7	7	चोरी, कपट, हानि एवं गबन के मामलो की स्थिति का विवरण (आग लगना)	–	कुल प्रकरणो की संख्या 1
8	8	लंबित पेंशन प्रकरण	प्रकरणों की संख्या 0	–
9	9	लंबित वेतन स्थितिकरण	प्रकरणों की संख्या 0	–
10	10	विभागीय जाँच एवं निलम्बन के मामलो की स्थिति	–	प्रकरणो की संख्या 0
11	11	महालेखाकार के ड्राफ्ट पैरा की स्थिति	प्रकरणों की संख्या 0	राशि 0
12	12	भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र भेंजने की स्थिति	2016–17 प्रेषित	पत्रांक दिनांक
13	13	निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन	प्रतिवेदन संख्या 0	बकाया आक्षेपो की संख्या 0
·14	14	महालेखाकार को भंडार लेखे भेजने की स्थिति	–लागू नही–	पत्रांक/दिनांक

उक्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः अनुलग्नक 1 से 14 संलग्न है।

Scanned with CamScanner

3. बजट अनुमानों का संग्रह, निधियों का आवंटन तथा व्यय नियंत्रण एवं राशियों की वसूली :–

कार्यालय के बजट अनुमानों के संग्रह, निधियों का आवंटन, व्यय के नियंत्रण एवं प्राप्तियों की वसूली की नमूना जाँच की गयी तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के आधार पर सही पाये गये।

4. **अधिकारियो/कर्मचारियों के चिकित्सा पुर्नभरण बिल्स की जाँच :–**

जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के 20 प्रतिशत **चिकित्सा पुर्नभरण बिल्स** की विस्तृत जाँच की गयी तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

5. **विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये अनुदानों की समीक्षाः–**

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये सभी प्रकार के अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों की विभाग द्वारा सूचना शून्य उपलब्ध करवायी गयी है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

6. **संविदा नियुक्तियो की स्वीकृतियो की समीक्षाः–**

विभाग में संविदा पर नियुक्त सलाहकारो (consultant)एवं अन्य की स्वीकृतियो की समीक्षा द्वारा विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचना से की गई एवं किसी प्रकार का अनियमितता नहीं पाई गई।

7. **किराये के वाहनो की स्वीकृति, कम्प्यूटर (मयऑपरेटर) किराये पर लिये जाने की स्वीकृतियो की समीक्षाः–**

विभाग में किराये के वाहनो की स्वीकृति, कम्प्यूटर (मयऑपरेटर) किराये पर लिये जाने की स्वीकृतियो की समीक्षाविभाग उपलब्ध करवाई गई सूचना से की गई की गई एवं किसी प्रकार का अनियमितता नहीं पाई गई।

8. **राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का नियमन ओर स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के तहत नियुक्तियों, पदो के सृजन, वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय एवं प्रतीकारात्मक भत्तों की जाँच–**

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों, सृजित पदो, भुगतान किये गये वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय एवं प्रतीकारात्मक भत्तो की राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का नियमन ओर स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के तहतजाँच के संबध में विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचनाशून्य सूचित की गयी अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

Scanned with CamScanner

9. सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाँच–

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल की गईराशि की जाँच के संबध में विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचनाशून्य सूचित की गयी अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

10. निविदा द्वारा क्रय के समय निविदा दाताओ से ली गई निविदा शुल्क, राजकॉम्प की निविदा प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security)एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) की जाँचः–

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा निविदा द्वारा क्रय के समय निविदा दाताओ से ली गई निविदा शुल्क, राजकॉम्प की निविदा प्रोसेसिंग शुल्क,बोली प्रतिभूति (Bid Security)एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)के राजकोष में जमा किये जाने तथा असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति (Bid Security) के प्रतिदाय(Refund)तथा अनुबन्ध पूर्ण होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदाय (Refund)तथा नियमानुसार प्रतिदाय(Refund) निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के राजकॉम्प में जमा करवाया जाने की सूचना शून्य सूचित की गई अतः सही पाया गया।

Scanned with CamScanner

भाग–II

इस भाग में उन बिन्दुओं पर आक्षेप गठित किये जायेगे जिनके सम्बन्ध में अनियमितता पायी गयी है।

अनुच्छेद संख्या 1 :–नकद शेष का सत्यापन

कार्यालय के नकद शेष की आकस्मिक जाँच दिनांक 03–06–19 को की गयी, जिसके परिणाम निम्नानुसार रहे :–

क्र. स.	रोकड़ बही का नाम	अन्तिम शेष	अन्तिम प्रविष्टि दिनांक	सत्यापित राशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय रोकड़ बही	रू 8780	01-06-19	रू 8780
2	छात्रनिधि रोकड़ पुस्तिका	रू 928	01-06-19	रू 928
3	विकास समिति रा. क. महा. अजमेर (SBI 30037452099)	रू 116438.78 बैंक में	24-04-17	रू 116438.78 बैंक मे
4	सावित्री कालेज की राशि (8 केश बुक)	रू 5200	-	रू 5200
5	छात्रनिधि पी डी खाता न 341 चैक 463562 से 463600 खाली	रू 30398821	01-06-19	रू 30398821
6	रूसा बैंक खाता सं (OD A/c) PNB 0008002100062430	रू 0	23-08-18	रू 0
7	यूजीसी बैंकखातासं Canara bank 2134101013614	रू 1890 बैंक में	16-07-16	रू 1890 बैंक में
8	खाली रसीद बुक कैंशियर प्रवेश शुल्क रसीद बुक	बुकस0 77 रसीद सं 32 से 100 खाली कुल 69 बुक स 78 से 100 (1*1) 23 रसीद बुक खाली	18-02-19	बुकस0 77 रसीद सं 32 से 100 खाली कुल 69 बुक स 78 से 100 (1*1) 23 रसीद बुक खाली
9	खाली रसीद बुक कैंशियर विविध प्राप्ति रसीद बुक	बुक स0 43 रसीद सं 297 से 300 खाली कुल 4 बुक स 44 से 60 (1*2*3) 1 से 300 17 रसीद बुक खाली	01-06-19 01-06-19	बुक स0 43 रसीद सं 297 से 300 खाली कुल 4 बुक स 44 से 60 (1*2*3) 1 से 300 17 रसीद बुक खाली
10	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क रसीद बुक	बुक स0 86 रसीद सं 47 से 200 खाली कुल 154 बुक स 101 से 125 25 बुक खाली (1 से 200)	06-02-19	बुक स0 86 रसीद सं 47 से 200 खाली कुल 154 बुक स 101 से 125 25 बुक खाली (1 से 200)
10	भण्डारपाल रसीद बुक	0	-	0
11	सर्विस पोस्टेज	डिसपेचर –रू 500 कैशियर – रू 25000	03-06-2019 10-04-19	डिसपेचर –रू 500 कैशियर – रू 25000

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 1(1) आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि 2018–19 में राजकीय रोकड़ बही की जांच करने पर निम्न कमियां पाई गई है :–

(i) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम 50(1)(i) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक माह के अंत में रोकड़पुस्तिका में नकद शेष सत्यापित करेगा तथा इस संबध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर हस्ताक्षर मय दिनांक करेगा, नियम 50(1)(ii) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा माह में एक बार आकस्मिक जांच कर रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेंगे एंव नियम 48(vii) के अनुसार रोकड़ शेष का ब्यौरा रोकड़ पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा संधारित रोकड़ बही में उक्त नियमों की नियमित पालना नहीं की जा रही है। अतः रोकड़बही में निर्धारित प्रमाण पत्र नियमित रूप से अंकित करवाये जावें।

(ii) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम 48 (iv)के अनुसार रोकड़ पुस्तिका में एक बार की गई प्रविष्टि को मिटाना या उपरिलेखन करना पूर्णतया निषिद्व है यदि कोई गलती पाई जाती है तो अशुद्व प्रविष्टि पर पैन से रेखा खींच कर लाल स्याही से शुद्व प्रविष्टि अंकित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिनांकित लघु हस्ताक्षर किये जाऐंगे।
भविष्य में अशुद्व प्रविष्टि पैन से रेखा खींच कर लाल स्याही से शुद्व प्रविष्टि अंकित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिनांकित लघु हस्ताक्षर किये जाऐं।

(iii) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम 48 के अनुसार प्रपत्र जी ए 51 में मनीआर्डर, चैकों , ड्राफ्टों आदि का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। सभी धनसंबधी लेनदेन जैसे ही पूरे किये जाएं, रोकड़ पुस्तिका में दर्ज किये जाएगें तथा जांच करने के प्रमाणस्वरूप कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन्हें अभिप्रमाणित किया जाएगा । आलोच्य लेखापरीक्षाअवधि के लिए जी ए 51 में मनीआर्डर, चैकों , ड्राफ्टों आदि का एक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया है।

(iv) विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का सा वि ले. नियम 225 के सन्दर्भ में जांच मे पाया गया है कि विभाग द्वारा सेवा डाक टिकटों की प्राप्ति व व्यय का डिस्पेचर द्वारा पोस्टेज स्टाम्प रजिस्टर का प्रपत्र जी ए 114 व 115 में नियमित रूप से संधारण नहीं किया जा रहा है तथा पोस्टेज स्टाम्प रजिस्टर के योग व शेष की जांच अन्य कर्मचारी से नहीं की जा रही है।

(v) **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम भाग 1 के अध्याय IV के नियम 45 (1) से (4)** के अनुसार रसीद बुकों के प्रारूप व रसीद बुकों का लेखा संधारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लेकिन विभाग द्वारा भण्डार पाल एवं रोकड़पाल द्वारा उपयोग में ली जा रही विभिन्न प्रकार की रसीदबुकों का लेखासंधारण नहीं करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा कर प्रवेश शुल्क व विविध प्राप्तियों की रसीद बुकों का मुद्रण निजी फर्मो से करवाया जा रहा है। तथा फर्म से प्राप्त होने वाली रसीद बुकों तथा उन्हे समय समय पर विभिन्न फीस काउण्टर हेतु जारी करने का उत्तरदायी कार्मिक का नाम व विवरण प्राप्ति से संबधित रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 2 :–एफ.वी.सी. बिल्स की जाँच अनियमितता राशि रू ~~5472~~ 196219 :–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग । के नियम 219 से 225 के तहत विस्तृत जाँच माह मार्च व अन्य तीन माहके कार्यालय के सभी एफ.वी.सी. बिल्स की नमूना जाँच की गई है एवं निम्न अनियमिततायें पाई गई:–

क्र. स.	बिल नं0 व दिनांक	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	नियम जिसकी पालना नहीं की गई है	अनियमितता की राशि
1	2	3	4	5
1	FVC Bill no 105 Dt 28-03-2019	एफवीसी बिल द्वारा मनीषा BSc I जया रेणुअली BCom I Year को निशुल्क शिक्षा योजना अर्न्तगत की छात्रा होने से फीस का रिफण्ड किया गया है। फीस रिफण्ड के बिल के साथ मूल फीस जमा की रसीद	फीस रिफण्ड के बिल के साथ मूल फीस जमा की रसीद, छात्राओं के बैंक विवरण के सत्यापन की डिटेल पास बुक चैक आदि की प्रति व 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर पात्रता अर्जित करने संबधी अंकतालिका की प्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त विवरण अंकित करते हुए भुगतान की स्वीकृति भी जारी नहीं की गई है।	2898
2	Fvc bill no 95 dt 24-02-19	महाविद्यालय में बी एस एन एल की लीज लाईन लगवाने के लिए कार्यालय मद से बी एस एन एल को 103873 का भुगतान किया गया है। इस संबध में महाविद्यालय में पूर्व में ही दो इन्टरनेट कनेक्शन कार्यरत है जिनका टेलीफोन न 2970207 व 2970128 है जिसका एफवीसी बिल सं 93 रू 37272 एफवीसी बिल सं 94 रू 37272 कुल 74544 का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार कुल भुगतान 178417 किया गया है।	पूर्व में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद नई लाईन हेतु राजकीय राशि रू 103873 का व्यय किया गया है। नई लीज लाईन/ टेलीफोन कनेक्शन हेतु सक्षम स्तर सामान्य प्रशासनिक विभाग से जारी स्वीकृति उपलब्ध नहीं पायी गयी। कार्यालय व्यय मद से नई लीज लाईन पर व्यय किया जाना नियमानुसार नहीं है । पूर्व के इन्टरनेट कनेक्शन को भी आदिनांक तक बंद नहीं करवाया गया है।	178417
3	Fvc bill no 75 dt 20-12-18 rs 14904	महाविद्यालय मे पुस्तकालय मद 31 में प्राप्त राशि से विभिन्न प्रकाशकों से क्रय पुस्तकों का राशि रू 14904	बिल के साथ प्रकाशकों को निदेशालय कालेज शिक्षा विभाग द्वारा नियत प्रारूप में जारी किया जाने वाला	14904

Scanned with CamScanner

		का भुगतान किया गया है।	पुस्तक क्रयादेश संलग्न नहीं पाया गया है। पुस्तकों के भुगतान से पूर्व क्रयादेश में वर्णित शर्तों के अनुरूप आपूर्ती कर्ता प्रकाशक से पुस्तकों के दर/कमीशन, पुस्तकों के नवीन संस्करण होने व रिमैण्डर नहीं होने के संबध में प्रमाण पत्र अल्का पब्लिकेशन से नहीं लिया गया है। अतः संबधित सप्लायर से उसके बिल के विवरण उल्लेखित कर प्रमाण पत्र मंगवाया जावे।	
			महायोग	196219 रू

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 से 2 में कालम सं 3 अनुसार पायी गयी अनियमिततओं के संबध में कालम सं 4 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर वसूली, प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 3 :–अधिकारियों/कर्मचारियो की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच :–

(i) जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली एवं वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों की नमूना जाँच की गयी तथा निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गयी:–

क्र. स	अधिकारियो/कर्मचारियो के नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	अनियमितता की राशि
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रवीण मिर्धा सहायक आचार्य अंग्रेजी	कार्मिक की सेवा पुस्तिका की जांच में पाया गया है कि कार्मिक द्वारा निम्नांकित असाधारण अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है (see table below) इस प्रकार कार्मिक के अवकाश लेखे की जांच कर असाधारण अवकाश के एवज में 1/10 से 15 पी एल कम की जावे।	

अवधि	दिवस EOL	जोडी गयी पी एल
18-9-95 to 28-09-15	11	24-8-95 to 18-12-95 = 10 day
28-10-95 to 11-11-95	15	
12-11-95 to 18-11-95	7	
11-3-96	1	
02-08-98 to 15-09-98	45	01-01-98 to 31-12-99 = 30day
2-12-98 to 21-12-98	4	
6-01-2003 to 4-02-03	30	01-01-02 to 31-12-03 = 30 days
13-01-03 to 14-03-03	30	
	146	

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 अनुसार पायी गयी अनियमिततओं के संबध में कालम सं 3 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 4 अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, बिल्स की जाँच अधिक भुगतान रू 4355 :–

जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के 20 प्रतिशत यात्रा बिल्स की नमूना जाँच की गयी तथा निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गयी:–

क्र. स.	अधिकारीयों / कर्मचारियों का नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	2	3	4
1	श्री विरेन्द्र शर्मा व्याख्याता बिल सं 82 दिनांक 23.01. 18	दिनांक 16.08.17 अजमेर से जयपुर राजकीय यात्रा स्वयं के वाहन से की जा कर मील भत्ता 9*150=1350 *2=2700 ,एवं टोल टैक्स राशि 145 कुल राशि 2845 का भुगतान किया गया है कार्मिक द्वारा नियंत्रण अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्वयं के वाहन से यात्रा की गई है जो अनियमित है अतः साधरण बस किराया एवं तांगा चार्ज ही राशि रू 800 देय है अतः राशि रू 2045 की नियमानुसार वसूली की जावे। तथा भविष्य में निजी वाहन से यात्रा की पूर्व स्वीकृति कार्यालय आदेश जारी करवाने के उपरांत ही निजी कार से यात्रा भत्ता बिल का भुगतान किया जावे।	2045
2	श्री चेतन प्रकाश उपाचार्य बिल सं 82 दिनांक 13.01.19	दिनांक 10.10.17, 21.11.17 , 22.11.17 19.12.17 तथा 18.01. 18 को अजमेर से जयपुर की यात्रा में उच्च श्रेणी का किराया आहरित किया गया है लेकिन उच्च श्रेणी टिकट की मूल/ प्रति संलग्न नहीं पायी गयी है अतः टिकट मूल /प्रति संलग्न नही करने के कारण सामान्य किराया ही देय है अतः 315*2*5=3150 केस्थान पर 150*2*5=1500 ही देय है इस प्रकार अधिक भुगतान राशि रू 1650 वसूली योग्य है।	2310
	श्री चेतन प्रकाश उपाचार्य बिल सं 103 दिनांक 17.03. 19	दिनांक 30.01.18 व 31.01.18 को अजमेर से जयपुर की यात्रा में उच्च श्रेणी का किराया आहरित किया गया है लेकिन उच्च श्रेणी टिकट की मूल/ प्रति संलग्न नहीं पायी गयी है अतः टिकट मूल /प्रति संलग्न नही करने के कारण सामान्य किराया ही देय है अतः 315*2**2=1260 केस्थान पर 150*2*2=600 ही देय है इस प्रकार अधिक भुगतान राशि रू 660 वसूली योग्य है।	
		महायोग	4355रू

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 व 2 अनुसार अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, बिल्स की जाँचअनुसार पायी गयी अनियमिततओं के संबध में कालम सं 3 व 4 आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना/वसूली से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

Scanned with CamScanner

नुच्छेद संख्या 5:–:– क्रय सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच राशि रू 33705 :–

कार्यालय के जाँच अवधि के निर्देशानुसार क्रय सम्बन्धी प्रकरणों (अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री सहित) की जाँच की गयी तथा निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गयी :–माल के क्रय में पायी गई अनियमितताएं

क्र. स	एफ वी सी बिल न व दिनांक	क्रय की राशि रू	आर टी पी पी एक्ट 2012 तथा आर टी पी पी रूल्स 2013 के तहत किस नियम धारा की अवहेलना की गई है	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	विवरण
1	रूसा योजना अर्न्तगत	खुली निविदा सं 05/2018 पत्रांक 1062 दिनांक 29.05. 2018 द्वारा जारी उपकरण भौतिक रसायन चित्रकला विभाग एवं सामान्य भण्डार 13.50 लाख	खुली निविदा सं 5/2018 द्वारा प्राप्त सामान्य भण्डार विभाग के अर्न्तगत वाटर कूलर व मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्रय में पायी गयी कमियॉं 1 निविदा पत्रावली का संधारण नहीं किया गया है। निविदा के दस्तावेज लूज पैड में बंधे पाये गये हैं पत्रावली में निविदा के अखबार में प्रकाशन की सूचना एस पी पी पोर्टल पर अपलोड करवाने की सूचना संलग्न नहीं पायी गयी ।		
			2 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हेतु इलैक्ट्रानिक इण्डिया द्वारा टेण्डर कापी हेतु संलग्न डी डी सं 505178 रू 200 व वाटर कूलर हेतु मै साईसं एवं सर्जिकल हाउस गंगानगर द्वारा डी डी सं 500276 रू 1200 राजकोष में जमा नहीं करवाया जाना पाया गया है। अतः फर्म से 2 निविदा प्रपत्रों के शुल्क की राशि रू 400 राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित कर पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित करें।		
			3 मै ग्लोबल इन्सट्रूमेंट अजमेर को पत्रांक 1457 दि 27.06.18 द्वारा 196600 का कार्यादेश जारी किया गया है लेकिन फर्म द्वारा 5 प्रतिशत सुरक्षा जमा 9830 रू के स्थान पर डी डी सं 63224 रू 5000 जमा करवाया गया अतः 3830 रू सुरक्षा जमा कम जमा करवायी गयी है।		
			4 मै राजस्थान नेटवर्क साल्यूशन को पत्रांक 1455 दिनांक 27.06.18 द्वारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हेतु 389940 का कार्यादेश जारी किया गया है लेकिन फर्म ने बैंक आफ इण्डिया का डी डी सं 447527 दिनांक 18.07.2018 रू 19497 प्रस्तुत किया है लेकिन उक्त डी डी को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा आपूर्ती व इन्सटालेशन की निविदा प्रस्तुत की गई है जिसमें मल्टीमीडिया प्रोजक्टर पर पांच वर्ष की वारंटी का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार फर्म से प्राप्त सुरक्षा राशि का डी डी अवधिपार हो गया है लेकिन उक्त डी डी को राजकोष में जमा नहीं करवाने से निविदा में उल्लेखित वारंटी के प्रावधान की पालना नहीं हो सकेगी। अतः फर्म से सुरक्षा राशि रू 19497 प्राप्त कर अविलम्ब राजकोष में जमा करवायी जावे तथा पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित किया जावे।		
			5 रसायन शास्त्र विभाग में निविदा के तहत मै इलेक्टानिक इण्डिया को 210500 का कार्यादेश जारी किया गया है लेकिन फर्म द्वारा सुरक्षा राशि 5 प्रतिशत 10525 के स्थान पर निविदा के साथ 8000 का डी डी प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार फर्म से 2525 रू की कम सुरक्षा राशि जमा करवायी गयी है ।		
			6 रसायन व भौतिक शास्त्र विभाग के निविदा प्रपत्र में क्रय की गई सामग्री की संख्या अंकित नहीं की गई है जिससे भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा 2.50 लाख की निविदा के विरूद्ध 3.30 लाख का क्रयादेश जारी कर दिया गया है। निविदा से तैयार तुलनात्मक विवरण पर क्रय समिति के सभी सदस्यों से जांच उपरांत हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये है। भौतिक शास्त्र विभाग के 4.03 लाख के कार्यादेश व रसायन शास्त्र विभाग के 3.30 लाख के कार्यादेश जिन 10 फर्मो को जारी किये गये है तथा मै बतरा ट्रेडर्स को जारी कार्यादेश रू 144415 के विरूद्ध 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रू 7220 जमा नहीं करवाया जाना पाया गया है।		
			मै ग्लोबल इन्स्ट्रूमेंट के इनवाईस सं 171 दिनांक 02–09–2018 रू 9997 द्वारा		

Scanned with CamScanner

राजकीय मद बजट रू 10000 से केमिकल का क्रय किया गया है । इस संबध में दिनांक 21-08-2018 को राजस्थान साईटिफिक वर्क्स व दिनांक 10-08-2018 को ग्लोबल इन्ट्रमेंट से केमिकल के कोटेशन लिए गये थे। इन कोटेशन से बिल की जांच में पाया गया है कि निम्नांकित आईटम की दरें मै राजस्थान सांईटिफिक वर्क्स की कम होने के बावजूद मै ग्लोबल इन्स्ट्रूमेंट को अधिक दर पर कार्यादेश जारी कर दिया गया है जिससे 163 रू का अधिक भुगतान होना पाया गया है इस संबध में जांच कर अधिक भुगतान की वसूली कर राजकोष में जमा करवायी जावे।

केमिकल का नाम	फर्म द्वारा प्रस्तुत दर		दर मे अन्तर + 18% GST	क्रय मात्रा	अधिक भुगतान
	ग्लोबल	राज साई वर्क्स			
Sulphuric acid	235	225	11.80	3	35.40
Hydrochloric acid	180	172	09.44	3	28.32
Acitic acid	241	231	11.80	2	23.60
acetone	268	260	09.44	2	18.88
Ethyl acetate	242	235	08.26	1	08.26
Feric chloride	214	208	07.08	1	07.08
Amonium ferros Shulphate	185	179	7.08	1	07-08
Megnitium chloride	444	434	11.80	1	11.80
Poteshium di chromete	704	685	22.42	1	22.42
					162.84

भौतिक विभाग के खुली निविदा साईस एण्ड सर्जिकल हाउस गंगानगर को जारी क्रयादेश में में इर्नशिया टेबल की निविदा में दी गई दर रू 1700 के स्थान पर 1770 अधिक दर से क्रयादेश जारी कर दिया गया है जिससे फर्म को 70 रू के अधिक भुगतान की वसूली कर राजकोष में जमा करवायी जावे।

		33705	वसूली योग्य राशि	

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1से 8 के अनुसार जी.एफ.एण्ड.ए.आर, आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2012 तथा आर.टी.पी.पी. नियम, 2013 के अनुसार क्रय प्रकरणों में पायी गयी कालम सं 4 अनुसार अनियमितताओं के संबध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 6 :– कार्यालयमें संधारित वसूलियो के रजिस्टर की समीक्षा :–कार्यालय द्वारा संधारित अंकेक्षक आक्षेपो वसूलियो के रजिस्टर जी.ए. 60 की जाँच की गई तथा महालेखाकार एवं निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच, आन्तरिक जाँच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनो में अंकित वसूलियो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया। वर्तमान में कोई जांच प्रतिवेदन में वसूली बकाया नही है। फिर भी सुझाव है कि कार्यालय द्वारा संधारित अंकेक्षक आक्षेपो वसूलियो के रजिस्टर जी.ए. 60 का विधिवत संधारण करवाया जावे तथा संबधित कार्मिक / पक्षकार से वसूली के संबध तत्काल कार्यवाही की जावे तथा यदि किसी अधिकारी/ कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण पर वसूली को उसकी अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र (L.P.C) में अंकित किये जावे। प्रकरण में पायी गयी अनियमितता संबध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 7 :– यू जी सी मद एवं रूसा योजना के तहत प्राप्त अनुदान राशि में से आवश्यकता के आकलन करवाये बिना सामग्री का क्रय तथा उपलब्ध संसाधनों को पूर्ण उपयोग का अभाव

आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि में रूसा मद में प्राप्त अनुदान राशि से महाविद्यालय स्तर पर . आवंटित बजट में से इन्टरेक्टिव बोर्ड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वाटर डिस्पेंसर वाटर कूलर यूपीएस डेस्कटॉप कम्प्यूटर लेपटाप प्रिंटर आदि का क्रय किया गया है। उपलब्ध विभागीय पत्रावली/रिकॉर्ड की जांच में यह पाया गया है कि विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदान के तहत नवीन आईटमों के संबध में विभागीय क्रय योजना के प्रस्ताव व अनुमोदन महाविद्यालय स्तर पर ही तैयार की जाती है इस संबध में आयुक्तालय/ सरकार स्तर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये जाते है। विभाग के स्थाई सामग्री की पंजिका जांच में पाया गया है कि महाविद्यालय के भण्डार में पूर्व में ही कई आईटम उपलब्ध होने के बावजूद उनकी मरम्मत व सर्विस आदि नही करवायी जाकर नवीन आईटम उक्त मद में कर लिये जाते है। क्रय से पूर्व उपलब्ध संसाधन व नवीन क्रय की आवश्यकता से संबधित आंकलन/ आरटीपी पी एक्ट अर्न्तगत प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार करवा कर उपापन की कार्यवाही करना नहीं पायी गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु भण्डार का भौतिक सत्यापन करवाया जावे तथा भौतिक सत्यापन में मरम्मत योग्य सामान को उपयोग में लाए जाने हेतु मरम्मत करवायी जावे। जो सामान समय के साथ अप्रचलित / नाकारा हो उसे नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावे तथा आरटीपी पी एक्ट अर्न्तगत प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार करवा कर उपापन की कार्यवाही की जाकर पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित किया जावे।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 8 :– पुस्तकालय में पुस्तकों के क्रय में पाई गई कमियॉ

शिक्षा निदेशक कालेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 20 (63) / लेखा/ निकाशि/ 97/934 दिनांक 13–03–2001 द्वारा पुस्तक क्रय एवं निरतारण हेतु जारी निर्देशों के अनुसार आवंटित बजट के बेहतर उपयोग के लिए पुस्तकों की आवश्यकता का विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर प्राचार्य / उपाचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावे। पुस्तकों का क्रय प्रतिष्ठित प्रकाशकों से करने के प्रयास किये जावें। पुस्तकों पर अधिकतम कमीशन प्राप्त करने के प्रयास किये जावें तथा किये गये प्रयासों का उल्लेख क्रय समिति की प्रोसिडिंग में भी किया जावे। इसके अतिरिक्त निदेशालय से जारी अन्य निर्देशों के अनुसार पुस्तकों के अजिल्द संस्करण छात्र संस्करण भारतीय संस्करण एवं कम मूल्य वाले पेपर बैक संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। महाविद्यालय आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि में राज पब्लिशिंग हाउस को 98056 रू रूसा मद में वाउचर सं 10 के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत प्राप्त निधियों से पुस्तकों का क्रय किया गया है । राज पब्लिशिगं कि इनवायस सं 217 व 219 द्वारा निम्न पुस्तकें सजिल्द हार्ड बाईड क्रय की गई है । बाल विकास एवं पारिवारिक संबध मूल्य रू 850*2=1700 योग आहार एवं स्वास्थ्य जिवानी मूल्य रू 1595 शिक्षण कला पाल मूल्य रू 780 शिक्षा तकनीक भार्गव मूल्य रू 980 शिक्षा मनोविज्ञान उपाध्याय मूल्य रू 900 आहार विज्ञान त्रिपाठी मूल्य रू 700 वस्त्र एवं परिधान भटट मूल्य 850*2=1700 योगा फोर ब्यूटी मूल्य रू 995 मेहता चाईल्ड डवेलपमेंट डीमान मेंटल हेल्थ एण्ड इलनेस रू 995 बिल सं 219 मे हेण्ड बुक आफ टेक्सटाईल रू 925 उपभोक्ता अर्थशास्त्र पटेल मूल्य 1195 रिटेल मार्केटिंग रू 1225 क्रय किया गया है

महाविद्यालय द्वारा पुस्तक क्रय हेतु अपनाई गई क्रय प्रक्रिया की नमूना जांच में पाया गया है कि महाविद्यालय की पुस्तकालय समिति द्वारा पुस्तकों के क्रय की कार्यवाही में निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की निम्नानुसार पालना नहीं की जानी पाई गई है:–

1 महाविद्यालय की पुस्तकों हेतु गठित की गई क्रय समिति द्वारा अजिल्द व छात्र संस्करण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देशों की पालना नहीं की गई है तथा पुस्तक प्रदायकर्ता फर्मो को जारी कार्यादेश / बिल में अजिल्द/ सजिल्द संस्करण का विवरण उल्लेख नहीं किया गया है तथा फर्म ने बिल में यह प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि सजिल्द पुस्तकों के पेपर बैक संस्करण प्रकाशित नही हुआ है। **मंहगी कीमत की सजिल्द पुस्तकों की आवश्यकता के निर्धारण एवं पुस्तकों पर अधिकतम कमीशन प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख क्रय समिति की प्रोसिंडिंग में आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देशों का उल्लघंन किया जाना पाया गया है।**

फर्म से अव निदेशालय से निर्धारित समरत प्रमाण पत्र प्राप्त कर पालना के साथ भिजवाये जावे। भविष्य में निदेशालय द्वारा जारी निर्देश एवं सामान्य वित्तीय लेखानियम भाग ।। अध्याय ।। भण्डार क्रय नियम की प्रस्तावना एंव नियम 28 प्राप्ति हेतु वित्तीय औचित्य के स्तर के नियमों का विधिवत पालन किया जावे एवं पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग को अवगत करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

(2) पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन वर्ष 2018–19 के प्रतिवेदन के अनुसार 21–3–2014 की 15 पुस्तके वर्ष 2014–15 की 30 पुस्तकें व 2016–17 की 43 पुस्तके रू 4570 अपलेखित की गई हैं। 2018–19 की 360 कम पायी गयी थी । कम पायी गयी पुस्तकों को यथा शीघ्र प्राप्त कर पुस्तकालय में जमा करवाये जाने संबधी कार्यवाही की जावे। जो पुस्तकें काफी लम्बे समय से मिसिंग है उनके नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही की जावे तथा पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित किया जावे।

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

उपसंहार

आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि 2018–19 हेतु **प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर** (राज0) कार्यालय में संधारित लेखाओं के आंतरिक निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया तथा तथ्यों की पुष्टि की गयी। प्रतिवेदन का भाग ।।। सूक्ष्म अनियमितताओं एवं प्रकियात्मक सुधार से सम्बन्धित है, अलग से जारी किया जा रहा है सुझाव एवं बिन्दुओ की अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्राचार्य
हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
अजमेर

हस्ताक्षर दल प्रभारी
(गुलाब चन्द शर्मा)
सहायक लेखाधिकारी ।
प्रभारी आंतरिक जांच दल सं 1
निरीक्षण विभाग राजस्थान
मुख्यालय अजमेर

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

भाग–III

इस भाग में उन बिन्दुओं पर जाँच टिप्पणी अंकित की जायेगी जो सूक्ष्म अनियमितताओं एवं प्रकियात्मक सुधार से सम्बन्धित है, इस भाग में अंकित सुझाव एवं बिन्दुओ की अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1 **पै मैनजर के माध्यम एवं आर टी जी एस के माध्यम से संबधित पक्षकार के बैंक खाते में भुगतान से संबधित बैंक विवरण को संबधित पक्षकार से प्रमाणितशुदा बैक विवरण प्राप्त कर बिल की कार्यालय प्रति के साथ नत्थी करवाये जाने के संबध में:–**

आलोच्य लेखापरीक्षा अवधि में भुगतान की नमूना जांच एफ वी सी बिल के माध्यम से फर्म / सप्लायर्स को उनके बिलों का भुगतान पे मेनेजर के माध्यम से फर्म के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है लेकिन इस प्रकार से हस्तांतरित राशि की फर्म से प्राप्ति रसीद /बैंक से संबधित प्रमाणित विवरण संबधित वाउचर के साथ नत्थी नहीं किया गया है। इस प्रकार पे मैनजर के माध्यम से एवं आर टी जी एस के माध्यम से संबधित पक्षकार के बैंक खाते में भुगतान से संबधित बैंक विवरण को संबधित पक्षकार से प्रमाणितशुदा बैक विवरण प्राप्त कर बिल की कार्यालय प्रति के साथ नत्थी नहीं किये जाते है।

अतः सुझाव है कि पे मेनेजर / आरटीजीएस / इ सी एस के माध्यम से पक्षकार के बिलों का पक्षकार के बैंक खाते में आनलाईन भुगतान के संबध में फर्म के बैंक विवरण को पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बिल में ही मुद्रित करवाया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे की फर्म द्वारा बिल पर अंकित विवरण अनुसार एफवीसी बिल से भुगतान किया जावे। यदि बैंक संबधी विवरण पक्षकार के बिल में अंकित नहीं किया जाता है तो फर्म से प्राप्त बैंक विवरण संबधी साक्ष्य का विधिवत अनुप्रमाणित दस्तावेज बिल की कार्यालय प्रति में भी संलग्न किया जावे/उचित प्रकार से रिकॉर्ड संधारण करवाया जावे।

2 **वेतन एंव भत्ते के बिलों की कार्यालय प्रति के साथ आदेश की प्रतियां संलग्न कर संधारित करने के संबध में:–**

आलोच्य लेखापरीक्षा अवधि के वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि एरियर बिल की कार्यालय प्रतियों के साथ पूर्व में आहरित (Already drawn) वेतन व भत्ते की राशि का विवरण जी ए 55 ए , अनुपस्थिती विवरण , वेतन वृद्धि / एसीपी स्वीकृति के आदेश की प्रतियां नत्थी नहीं की जाती है। इन आदेशों को अलग अलग पत्रावलियों में संधारित किया जा रहा है। इससे वेतन एंव भत्तों को प्रभावित करने वाले आदेशों की पालना की सुनिश्चितता की लेखापरीक्षा में समस्या होती है। अतः भविष्य में वेतन बिलों की कार्यालय प्रति के साथ समस्त प्रकार के आदेश व अनुपस्थिती विवरण को संलग्न किया जावे ।

Scanned with CamScanner

3 सेवापुस्तिकाओं के संधारण में पायी गयी सामान्य कमियाँ

क्रम सं	अधिकारी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	जन्मतिथि प्रमाणित है अथवा नहीं	हस्ताक्षरों का पुन: प्रमाणीकरण है या नहीं	कालम सं 8 में कर्मचारी के हस्ताक्षर है या नहीं	DCRG के नामांकन पत्र / परिवार विवरण संलग्न हैं या नहीं	सेवा सत्यापन अद्यतन है या नहीं	उपार्जित अवकाश लेखा पूर्ण है या नहीं	HPL A/c पूर्ण है या नहीं	EOL की प्रविष्टि पूर्ण है या नहीं	EOL के लिए नियमानुसार PL कम की गई है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डा श्रीमती रेणुका व्याख्याता	नहीं	नहीं	नहीं	हा	नहीं	हां	हा	–	–
2	श्री नीलकमल गौड़ कार्य सहा	हां	नहीं	नहीं	हा	हां	हां	नहीं	–	–
3	श्री ओमप्रकाश सेठी सहा लेखा ।	हां	नहीं	नहीं	हा	हां	हां	हां	–	–
4	डा श्रीमती अलका पंवार व्याख्याता	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	–	–
5	डा सत्येन्द्र कुमार जैन व्याख्याता	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	–	–
6	डा योगेन्द्र कुमार व्याख्याता	हा	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हा	–	–
7	डा कल्पना वर्मा व्याख्याता	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हा	नहीं	–	नहीं
8	डा सुरेश सान्दू व्याख्याता	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	–	नहीं
9	डा उमेश भार्गव व्याख्याता	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	–	–

नोट : समस्त कार्मिकों की जन्मतिथि पर नियमानुसार सैलो टेप लगायी जावे ताकि उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं रहे।

Scanned with CamScanner

4 **रोकड़िये / भण्डारपाल की प्रतिभूति (फिडिलिटी गारंटी बांड) का अभावः–**

सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार रोकड़पाल एंव भण्डार पाल का कार्य करने वाले कर्मचारी से फिडीलिटी गारंटी बांड प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार आलोच्य अवधि में रोकड़पाल द्वारा बिना फिडिलिटी गांरटी बांड प्रस्तुत करे रोकड़ संबधी कार्य सम्पादित किया जाना सूचित किया गया है । अतः फिडिलिटी गांरटी बांड रहित अवधि में राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि / चोरी गबन आदि नही होने का प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी कर पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को पालना से अवगत करवाया जावे।

6 **चालानों का कोषागार के लेखों से मिलान का अभाव :–**

सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम के खण्ड प्रथम के नियम 59 के अनुसार माह समाप्ति के बाद चालान जमा का विवरण तैयार कर कोषागार में जमा करायी गई राशि की शुद्वता के प्रमाण के लिए उसका मिलान करेगा। आलोच्य लेखा जांच अवधि में चालानों का कोषागार से सत्यापन नहीं करवाया गया है।

अतः सुझाव है चालानों का विवरण प्रेषित कर कोषागार से तत्काल सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित करवायी जावे तथा पालना से आगामी जांच दल को अवगत करवाया जावे।

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन संख्या 80/2020-21

भाग–I (अ)

प्रस्तावना :– सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 12 (1) के प्रावधानानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय के लेखो की दिनांक 11–09–20 से 30–09–2020 तक की अवधि की आन्तरिक जाँच की गई। विभाग का मुख्य कार्य उच्च शिक्षण संस्थान के संचालन से संबधित है। जाँच अवधि में विभाग में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. विभाग का नाम :–प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर ।
2. कार्यालय के टेलीफोन नम्बर :– 0145–2627645
3. अंकेक्षण अवधि :– 2019–20
4. विभागाध्यक्षनाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री चेतन प्रकाश	का. प्राचार्य	01-09-2017 to continue

5. विभागाध्यक्ष का ई.मेल पता :– ggcajmer@gmail.com
6. विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी का नाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
–	–	–	–

7. कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री चेतन प्रकाश	उपाचार्य	01-09-2017 to continue

8. आहरणवितरण अधिकारी का नाम व पद मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री चेतन प्रकाश	उपाचार्य	01-06-2017 to continue

9. भण्डांर अधिकारी प्रभारी का नाम एवं अवधि:–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती मीनाक्षी जैन	व्याख्याता गृहविज्ञान	01-04-18 to continue

10. सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार भुगतान का नाम एवं अवधि

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री ओमप्रकाश सेठी	सहायक लेखाधिकारी ।	27-05-2015 to continue

Scanned with CamScanner

11. रोकड़पाल नाम मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा. अरविंद कश्यप	व्याख्याता भौतिक शास्त्र	01-01-2017 to continue

12. भण्डारपाल नाम मय अवधि :–

क्रम स	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती गरिमा राठौड़	लिपिक ग्रेड II	25-07-2016 to continue

13. जाँच दल प्रभारी एवं सदस्यों के नाम :–

क्रम स	नाम		अवधि	विवरण
1	प्रभारी	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पद सहायक लेखाधिकारी।	सम्पूर्ण	
2	सदस्य	श्री अशोक कुमार मीणा पद कनिष्ठ लेखाकार	सम्पूर्ण	

14. जाँच कार्य अवधि दिनांक 11–09–2020 से 30–09–2020 तक कुल कार्य दिवस– 16
विस्तृत जाँच के माह– मार्च, मई, सितम्बर व नवम्बर

हस्ताक्षर प्रभारी..............
जाँच दल सं. सहायक लेखाधिकारी
दिनांक.......... निरीक्षण विभाग राजस्थान
भौ.स.द. संख्या–प्रथम, मु.–अजमेर

Scanned with CamScanner

भाग–1 (ब)

इस भाग में उन बिन्दुओं की सूचनात्मक स्थिति अंकित की जायेगी जिनमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है तथा जिनकी अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

1. गत निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा :–

महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जाँच, विशेष जाँच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपो की समीक्षा की गई। परिणाम निम्न प्रकार रहे:–

महालेखाकार/निरीक्षण विभाग की जाँच प्रतिवेदन

प्रतिवेदन संख्या	प्रथम अनुपालन । प्राप्त अथवा नहीं	कुल बकाया आक्षेप	निरीक्षण दल द्वारा समीक्षा उपरान्त निरस्त हेतु प्रस्तावित अनुच्छेदों का विवरण	बकाया आक्षेप जिन्हें वर्तमान/नवीन प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया, का विवरण		निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन समीक्षा उपरान्त बन्द करने की अनुशंषा
				पूर्व जाँच प्रतिवेदन वर्ष एवं अनुच्छेद संख्या	वर्तमान अनुच्छेद की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन(समस्त)						
4/09 to 3/15	प्रेषित	02	–	–	–	–
योग 1 प्रतिवेदन		02				
निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदन (निदेशालय)						
4/12 to 3/17	प्रेषित	05	–	–	–	–
4/17 to 3/18	प्रेषित	03				
4/18 to 3/19	प्रेषित	08				
03 प्रतिवेदन		16				
भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन (निदेशालय)						
0प्रतिवेदन0 पैराज						

2 **प्रपत्रों की सूचना :–**

आन्तरिक जाँच के 14 प्रपत्रों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:–

क्र.स.	प्रपत्र सं.	प्रपत्र का विवरण	प्रकरणों का विवरण	
1	1	वर्ष बजट प्रावधान के उपयोग की स्थिति	–	आधिक्य/बचत का विवरण संलग्न है।
2	2	महालेखाकार के बकाया आक्षेप	प्रतिवेदन की संख्या 1	बकाया आक्षेप 2
3	3	बकाया अंकेक्षण आपत्तियां	संख्या 0	राशि रू 0
4	4	ए.सी. एवं डी.सी. बिलो की स्थिति	–	–
5	5	विभागीय आन्तरिक जाँच दलों की उपयोगिता का विवरण	–लागू नही–	निरीक्षणों की कुल संख्या 0
6	6	निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जाँच प्रतिवेदन	प्रतिवेदन की संख्या 3	बकाया आक्षेपो की संख्या 16
7	7	चोरी, कपट, हानि एवं गबन के मामलो की स्थिति का विवरण	–	कुल प्रकरणों की संख्या 1

Scanned with CamScanner

		(आग लगना)		
8	8	लंबित पेंशन प्रकरण	प्रकरणों की संख्या 1	—
9	9	लंबित वेतन स्थितिकरण	प्रकरणों की संख्या 0	—
10	10	विभागीय जाँच एवं निलम्बन के मामलो की स्थिति	—	प्रकरणो की संख्या 0
11	11	महालेखाकार के ड्राफ्ट पैरा की स्थिति	प्रकरणों की संख्या 0	राशि 0
12	12	भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति	2019–20 अप्रेषित	पत्रांक दिनांक
13	13	निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन	प्रतिवेदन संख्या 0	बकाया आक्षेपो की संख्या 0
14	14	महालेखाकार को भंडार लेखे भेजने की स्थिति	–लागू नही–	पत्रांक/दिनांक

उक्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः अनुलग्नक 1 से 14 संलग्न है।

3 **बजट अनुमानों का संग्रह, निधियों का आवंटन तथा व्यय नियंत्रण एवं राशियों की वसूली :–**
कार्यालय के बजट अनुमानों के संग्रह, निधियों का आवंटन, व्यय के नियंत्रण एवं प्राप्तियों की वसूली की नमूना जाँच की गयी तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के आधार पर सही पाये गये।

4 **अधिकारियो/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल्स की जाँच :–**
जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के 20 प्रतिशत यात्रा बिल्स की विस्तृत जाँच की गयी तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

5 **क्रय सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच :–**
कार्यालय के जाँच अवधि के सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत माल (Goods), संकर्म (works), सेवाये (services) के उपापन (Procurement) (अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री) से सम्बन्धित क्रय प्रकरणो की जाँच की गयी तथा 1.00 लाख रू से अधिक की किसी प्रकार की क्रय संबध कार्यवाही कार्यालय स्तर पर सम्पादित/भुगतान नही किये जाने के कारण अनियमितता नहीं पाई गयी।

6 **विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये अनुदानों की समीक्षा:–**
जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये सभी प्रकार के अनुदान सम्बन्धी प्रकरणों की विभाग द्वारा सूचना शून्य उपलब्ध करवायी गयी है। अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

7 **कार्यालय के वाहनो की लॉग बुको की समीक्षा:–**
कार्यालय को कोई भी वाहन का आवंटन नही है तथा न ही इस संबध में बजट का आवंटन है। अतः इससे संबधित सूचना शून्य होने कार्यालय के सभी वाहनो की लॉग बुको की जाँच अनियमितता की सूचना शून्य पाई गई।

8 **संविदा नियुक्तियो की स्वीकृतियो की समीक्षा:–**
विभाग में संविदा पर नियुक्त सलाहकारो (consultant)एवं अन्य की स्वीकृतियो की समीक्षा द्वारा विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचना से की गई एवं किसी प्रकार का अनियमितता नहीं पाई गई।

9 **किराये के वाहनो की स्वीकृति, कम्प्यूटर (मयऑपरेटर) किराये पर लिये जाने की स्वीकृतियो की समीक्षा:–**
विभाग में किराये के वाहनो की स्वीकृति, कम्प्यूटर (मयऑपरेटर) किराये पर लिये जाने की स्वीकृतियो की समीक्षाविभाग उपलब्ध करवाई गई सूचना से की गई की गई एवं किसी प्रकार का अनियमितता नहीं पाई गई।

10 **राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का नियमन और स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के तहत नियुक्तियों, पदो के सृजन, वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय एवं प्रतीकारात्मक भत्तों की जाँच–**

Scanned with CamScanner

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा की गई नियुक्तियों, सृजित पदो, भुगतान किये गये वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय एवं प्रतीकारात्मक भत्तो की राजस्थान (लोक सेवाओं मे नियुक्तियों का नियमन और स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के तहतजाँच के संबध में विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचनाशून्य सूचित की गयी अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

11 **सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की जाँच–**

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति की सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल की गईराशि की जाँच के संबध में विभाग उपलब्ध करवाई गई सूचनाशून्य सूचित की गयी अतः किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

12 **निविदा द्वारा क्रय के समय निविदा दाताओ से ली गई निविदा शुल्क, राजकॉम्प की निविदा प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security)एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) की जाँचः–**

जाँच अवधि में कार्यालय द्वारा निविदा द्वारा क्रय के समय निविदा दाताओ से ली गई निविदा शुल्क, राजकॉम्प की निविदा प्रोसेसिंग शुल्क,बोली प्रतिभूति (Bid Security)एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)के राजकोष में जमा किये जाने तथा असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति (Bid Security) के प्रतिदाय(Refund)तथा अनुबन्ध पूर्ण होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का नियमानुसार प्रतिदाय (Refund)तथा नियमानुसार प्रतिदाय(Refund) निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के राजकॉम्प में जमा करवाया जाने की सूचना शून्य सूचित की गई अतः सही पाया गया।

Rajasthan Government officially promotes Hindi language, so most of the documents are in Hindi.

Scanned with CamScanner

भाग–II

इस भाग में उन बिन्दुओं पर आक्षेप गठित किये जायेगे जिनके सम्बन्ध में अनियमितता पायी गयी है।

अनुच्छेद संख्या 1 :—नकद शेष का सत्यापन

कार्यालय के नकद शेष की आकस्मिक जाँच दिनांक 11/09/2020 को की गयी, जिसके परिणाम निम्नानुसार रहे :—

क्र.सं.	रोकड़ बही का नाम	अन्तिम शेष	अन्तिम प्रविष्टि दिनांक	सत्यापित राशि
1	2	3	4	5
		राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर		
1	राजकीय रोकड़ बही	रू 1100	10-9-2020	रू 1100
2	छात्रनिधि रोकड़ पुस्तिका	रू 11143	10-9-2020	रू 11143
3	रूसा बैंक खाता सं (CD A/c) PNB 0008002100062430	रू 0	1-4-2020	रू 0
4	यूजीसी बैंक खाता सं Canara bank 2134101013614	रू 0	1-4-2020	रू 0
5	सर्विस पोस्टेज	कैशियर – रू 19200	11-7-2020	कैशियर – रू 19200

आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि 2019 से 2020 में राजकीय रोकड़ बही की जांच करने पर निम्न कमियां पाई गई है :—

(i) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम खण्ड प्रथम के नियम 50(1)(प) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक माह के अंत में रोकड़पुस्तिका में नकद शेष सत्यापित करेगा तथा इस संबध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर हस्ताक्षर मय दिनांक करेगा एंव नियम 50(1)(ii) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा माह में एक बार आकस्मिक जांच कर रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेंगे।

(ii) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम 48 के अनुसार प्रपत्र जी ए 51 में मनीआर्डर, चैकों, ड्राफ्टों आदि का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। सभी धनसंबधी लेनदेन जैसे ही पूरे किये जाएं, रोकड़ पुस्तिका में दर्ज किये जाएगें तथा जांच करने के प्रमाणस्वरूप कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन्हें अभिप्रमाणित किया जाएगा । आलोच्य लेखापरीक्षाअवधि के लिए जी ए 51 में मनीआर्डर, चैकों , ड्राफ्टों आदि का एक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया है।

आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि में राजकीय रोकड़ बही में अंकित प्रमाण पत्रों पर मय तिथी हस्ताक्षर अंकित नहीं किये जा रहे है। अतः सुझाव है कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़पुस्तिका में नकद शेष सत्यापित कर इस संबध में प्रमाण पत्र अभिलिखित करके उस पर हस्ताक्षर मय दिनांक किया जावे तथा माह में एक बार रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच कर नकद शेष के सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित की जावे एवं पालना रिपोर्ट से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को अवगत करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 2 :– एफ.वी.सी. बिल्स की जाँच :–

विस्तृत जाँच माह मार्च व अन्य तीन माह के कार्यालय के सभी एफ.वी.सी. बिल्स की जाँच की गई है एवं निम्न अनियमिततायें पाई गई:–

क्र. स	एफ वी सी बिल नं0 व दिनांक	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	नियम जिसकी पालना नहीं की गई है	अनियमितता की राशि
1	2	3	4	5
1	18/ 17-9-19	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राशि प्राप्ति का अभाव । राशि 1,48,848/–	जिला परिषद अजमेर द्वारा नवीन राजकीय महाविद्यालय अराईं हेतु विधायक कार्यक्रम में छात्रों के अध्ययन हेतु 100 कुर्सी टेबल क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। राजकीय महाविद्यालय अराईं के कार्यकारी प्राचार्य इस महाविद्यालय के प्राचार्य थे। जिसके तहत 100 कुर्सी एवं टेबल क्रय कर 1,48,848/– रूपये का भुगतान राजकीय कन्या महाविद्यालय विकास समिति से किया गया। जबकि उक्त राशि जिला परिषद द्वारा प्राप्त कर भुगतान किया जाना चाहिए था। इस सम्बंध में जानकारी पर अवगत करवाया कि राशि 1,20,000/– रूपये जिला परिषद द्वारा प्राप्त हुए हैं जो कि इस महाविद्यालय के रूसा के खाते में जमा हैं तथा शेष राशि 30,000/– रूपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः रूसा के खाते में रखी हुई राशि विकास समिति के पी.डी. खाता में जमा की जाये एवं जिला परिषद से शेष राशि 30,000/– महाविद्यालय प्राप्त कर विकास समिति के खाते में जमा करवा कर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करावें।	1,48,848 रू
2	29/ 9-12-19	फर्म को अनियमित भुगतान राशि 7580/– रूपये	महाविद्यालय द्वारा परिसर में दीमक व मच्छर ट्रीटमेंट हेतु कोटेशन आमंत्रण दिनांक 18/09/2019 को जारी किए गए जिसमें न्यूनतम दरदाता फर्म द्वारा दीमक ट्रीटमेंट की दर 8/– प्रति वर्ग फीट, वुडन स्प्रे की दर 5000/– रूपये प्रस्तुत की एवं अन्य कोई कर आदि का उल्लेख नहीं किया जिसके आधार पर महाविद्यालय द्वारा पत्रांक 1441 दिनांक 2/10/2019 द्वारा मैसर्स अजमेर पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज को कार्यादेश जारी किया । फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर बिल संख्या 237 दिनांक 21/10/2019 प्रस्तुत किया । जिसमें पेस्ट कंट्रोल स्प्रे की दर 7000/– रूपये व दीमक ट्रीटमेंट की राशि 24000/– रूपये	7580/–

Scanned with CamScanner

			कुल 31000/- रूपये पर 18 प्रतिशत जीएसटी 5580/- रूपये सम्मिलित कर 36580/- रूपये का बिल प्रस्तुत किया। जिसका भुगतान इस बिल द्वारा किया गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई दर एवं कार्यादेश के अनुसार पेस्ट कंट्रोल स्प्रे की दर 5000/- थी जिसके स्थान पर फर्म द्वारा 7000/- रूपये का बिल प्रस्तुत किया तथा कोटेशन एवं कार्यादेश में जीएसटी का कोई उल्लेख नहीं होने पर भी 5580/- रूपये बिल में सम्मिलित किए गए। इस प्रकार फर्म को 7580/- रूपये का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त राशि सम्बंधित फर्म से वसूल कर पालना से अवगत करावें।	
कुल योग				156428/-

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 व 2 अनुसार पायी गयी कमियों के संबध में कालम सं 4 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 3 :-अधिकारियों/कर्मचारियो की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच :-

(i) जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली एवं वेतन निर्धारण सम्बन्धी प्रकरणों की नमूना जाँच की गयी तथा निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गयी:-

क्र.स	अधिकारियो/ कर्मचारियो के नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	अनियमितता की राशि
1	2	3	4
1	श्री नरेन्द्र निर्वाण व्याख्याता को प्रोबेशन समाप्ति पर वेतन का गलत निर्धारण से अधिक भुगतान राशि 159596 रू	सेवा पुस्तिका की जाच मे पाया की श्री नरेन्द्र निर्वाण की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने पर व्याख्याता के पद पर दो वर्ष के प्रोबेशन पर की गई जिसके संदर्भ मे श्री निर्वाण ने दिनाक 21.01.2009 को उपस्थिति प्रस्तुत की। श्री निर्वाण पूर्व मे स्कूल शिक्षा विभाग मे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पे बेन्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4200 मे 18230 रूपये वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा श्री निर्वाण ने प्रोबेशन अवधि मे पूर्व सेवा का वेतन लेने का विकल्प लिया। श्री निर्वाण को दिनाक 01.07.10 को वेतन वृद्धि देकर वेतन वृद्धि देकर 18780/- रूपये वेतन किया गया। श्री निर्वाण को दो वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने पर प्राचार्य एस.डी. राजकीय महाविद्यालय ब्यावर द्वारा अनुसुचि 4 के तहत पे बेण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 6000 मे 21600 रूपये वेतन निधारित किया गया। वित विभाग राजस्थान की अधिसुचना कमाक एफ 14 (1) एफ.डी. (नियम) 2009 दिनाक 12.10.2009 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयो मे कार्यरत व्याखाता को संशोधित वेतनमान दिनाक 01.01.06 से दिया गया जिसके नियम संख्या 17 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय के व्याखाता जो	159596 रू

Scanned with CamScanner

की पूर्व मे राजस्थान सरकार के अधिन नियमित रूप से कार्यरत है ओर उनकी नियुक्ति अन्य पद पर प्रोबेशनर ट्रेनि के रूप मे होती है एवं उसके द्वारा पूर्व पद के वेतन लिये जाने का विकल्प लिया जाता है । तो प्रोबेशन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर उसका वेतन नये पद के रनिंग पे बेण्ड मे पूर्व पद के वेतन को समान स्तर पर एकेडमीक ग्रेड पे पर वेतन नियतन किया जायेगा । इस प्रकार श्री निर्वाण का वेतन पूर्व पद के वेतन 14580 ग्रेड पे 6000 कुल 20580 रू पर वेतन नियतन किया जाना चाहिए था ।

क.स.	दिनाक	वेतन जो नियतन कर दिया गया	वेतन जो दिया जाना चाहिए था	वेतन जो दिया जाना चाहिये था
1	29.1.11	21600	20580	18360
2	1.7.12	22250	21200	18920
3	1.7.13	22920	21840	19490
4	1.7.14	23610	22500	20080
5	21.1.15	25320	24120(वरिष्ठ वेतनमान ग्रेड पे 7000)	
6	1.7.15	26080	24910	
7	1.7.16	26870	25660	

इस प्रकार निमानुसार श्री निर्वाण को प्रोबेशन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियम 17 के विपरीत वेतन निर्धारण कर वेतन का अधिक भुगतान किया गया । जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अतः श्री निर्वाण को अधिक भुगतान की गई राशि 159596 रू वसूल कर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करावें।

2	श्री अमित राजवंशी व्याख्याता को प्रोबेशन समाप्ति पर वेतन का गलत निर्धारण से अधिक भुगतान राशि 336730/–	सेवा पुस्तिका की जाच मे पाया की श्री अमित राजवंशी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने पर व्याख्याता के पद पर दो वर्ष के प्रोबेशन पर की गई जिसके संदर्भ मे श्री राजवंशी ने दिनाक 15.07.2012 को उपस्थिति प्रस्तुत की। श्री राजवंशी पूर्व मे स्कूल शिक्षा विभाग मे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पे बेन्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3600 मे 11880 रूपये वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा श्री राजवंशी ने प्रोबेशन अवधि मे पूर्व सेवा का वेतन लेने का विकल्प लिया । श्री राजवंशी को दिनाक 01.07.13 व 1.7.14 को वेतन वृद्वि देकर क्रमशः वेतन 14110/– व 14540/– रूपये वेतन किया गया । श्री अमित राजवंशी को दो वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण होने पर प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली द्वारा अनुसुचि 4 के तहत पे बेण्ड 15600 –39100 ग्रेड पे 6000 मे 21600 रूपये वेतन निधारित किया गया । वित विभाग राजस्थान की अधिसुचना क्रमाक एफ 14	336730 रू.

Scanned with CamScanner

(1) एफ.डी. (नियम) 2009 दिनाक 12.10.2009 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयो मे कार्यरत व्याखाता को संशोधित वेतनमान दिनाक 01.01.06 से दिया गया जिसके नियम संख्या 17 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय के व्याखाता जो की पूर्व मे राजस्थान सरकार के अधिन नियमित रूप से कार्यरत है ओर उनकी नियुक्ति अन्य पद पर प्रोबेशनर ट्रेनि के रूप मे होती है एवं उसके द्वारा पूर्व पद के वेतन लिये जाने का विकल्प लिया जाता है । तो प्रोबेशन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर उसका वेतन नये पद के रनिग पे बेण्ड मे पूर्व पद के वेतन को समान स्तर पर एकेडमीक ग्रेड पे पर वेतन नियतन किया जायेगा । इस प्रकार श्री राजवंशी का वेतन पूर्व पद के वेतन 10940/- ग्रेड पे 6000 कुल 16940/- रू पर वेतन नियतन किया जाना चाहिए था ।

क. स.	दिनाक	वेतन जो नियतन कर दिया गया	वेतन जो दिया जाना चाहिए था	वेतन जो दिया जाना चाहिये था
1	15.7.14	21600	16940	18360
2	1.7.15	22250	17450	18920
3	1.7.16	22920	17980	19490

इस प्रकार निमानुसार श्री राजवंशी को प्रोबेशन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियम 17 के विपरीत वेतन निर्धारण कर वेतन का अधिक भुगतान किया गया । जिसका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। अतः श्री राजवंशी को अधिक भुगतान की गई राशि 336730 रू. वसूल कर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करावें।

		कुल योग	496326 रू

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 से 2 के अनुसार पायी गयी अनियमिततओं के संबध में कालम सं 4 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 3(1) :— प्रोबेशन अवधि में उपार्जित अवकाश गलत तरीके से दिया जाना :—

सेवा पुस्तिकाओं की जॉच में पाया कि प्रोबेशन अवधि में उपार्जित अवकाश अर्जित बताई जाकर सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखों में जोड़ी गई है। Revision of pay scale of teacher including librian and PTI of Govt College की अधिसूचना 12.10.2009 के शिड्यूल 3 नियम 16 के अनुसार प्रोबेशन अवधि में कर्मचारी को केवल 12 आकस्मिक अवकाश देय हैं तथा किसी प्रकार का कोई अन्य अवकाश देय नहीं है। सेवा पुस्तिका में जॉच में पाया कि श्री नरेन्द्र निर्वाण व डॉ. अमित राजवंशी को प्रोबेशन अवधि में उपार्जित अवकाश 30—30 दिवस जोड़ा गया है जो कि अनियमित है। अतः उक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के अवकाश लेखों में उक्त उपार्जित अवकाश कम किया जाकर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करावें।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद संख्या 4 :—वेतन, विशेष वेतन, बोनस, समर्पित अवकाश एवं मानदेय की जांच :—

जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के 20 प्रतिशत वेतन, विशेष वेतन, बोनस, समर्पित अवकाश एवं मानदेय की नमूना जाँच की गयी तथा निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गयी:—

क्र.स.	अधिकारियो/कर्मचारियो के नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	अनियमितता की राशि
1	2	3	4
1	श्री ओम प्रकाश वैष्णव पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान 2018 के एरियर में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का अनियमित भुगतान राशि 65,738/—	कॉलेज लेक्चरार लाईब्रेरियन व पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2018 के तहत माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2018 का वेतन एरियर बिल संख्या 39 दिनांक 08/09/2019 के द्वारा भुगतान किया गया। जिसकी जाँच में पाया कि श्री वैष्णव को मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर में पदस्थापन का मानकर 16 प्रतिशत देय बताकर भुगतान किया गया। जबकि इनकी सेवा पुस्तिका अनुसार श्री वैष्णव इस महाविद्यालय में 9/7/2018 को उपस्थिति दी इससे पूर्व कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में कार्यरत थे जो कि जेड श्रेणी का शहर था जहां पर 8 प्रतिशत व वेतनमान 2009 में 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय था। परन्तु वेतन एरियर में वाई श्रेणी स्थान पर पदस्थापन मानकर क्रमशः 16 प्रतिशत देय व पूर्व में 20 प्रतिशत दिया हुआ मानकर एरियर भुगतान किया गया तथा उक्त अवधि में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के अन्तर का भी भुगतान किया गया। जबकि भीलवाड़ा में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं है। इस प्रकार माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 8 प्रतिशत दर से 13312/— रुपये मकान किराया भत्ता देय था तथा पूर्व में 6430/— रुपये दिया गया। इस प्रकार 6882/— रुपये एरियर प्रतिमाह देय था परन्तु 16 प्रतिशत दर से 26624/— रुपये देय बताकर तथा 12860/— पूर्व भुगतान बताया जाकर 13764/— रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता का एरियर दिया गया। अतः अधिक भुगतान अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 6882/— रुपये प्रतिमाह से राशि 61938/— एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता 3800/— रुपये कुल 65738/— रुपये अधिक भुगतान किया गया जो कि सम्बंधित कर्मचारी से वसूल कर पालना से अवगत करावें।	65738/—
2	श्रीमती मीनाक्षी जैन व्याख्याता को वेतनमान 2018 के एरियर में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का अनियमित भुगतान राशि 55,730/—	कॉलेज लेक्चरार लाईब्रेरियन व पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2018 के तहत माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2018 का वेतन एरियर बिल संख्या 39 दिनांक 08/09/2019 के द्वारा भुगतान किया गया। जिसकी जाँच में पाया कि श्रीमती जैन को मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर में पदस्थापन का मानकर 16 प्रतिशत देय बताकर भुगतान किया गया। जबकि इनकी सेवा पुस्तिका अनुसार श्रीमती जैन इस महाविद्यालय में 9/7/2018 को उपस्थिति दी इससे पूर्व कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में कार्यरत	55730/—

Scanned with CamScanner

		थे जो कि जेड श्रेणी का शहर था जहां पर 8 प्रतिशत व वेतनमान 2009 में 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय था। परन्तु वेतन एरियर में वाई श्रेणी स्थान पर पदस्थापन मानकर क्रमशः 16 प्रतिशत देय व पूर्व में 20 प्रतिशत दिया हुआ मानकर एरियर भुगतान किया गया तथा उक्त अवधि में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के अन्तर का भी भुगतान किया गया। जबकि भीलवाड़ा में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं है। इस प्रकार माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 8 प्रतिशत दर से 11152/- रूपये मकान किराया भत्ता देय था तथा पूर्व में 5382/- रूपये दिया गया। इस प्रकार 5770/- रूपये एरियर प्रतिमाह देय था परन्तु 16 प्रतिशत दर से 22304/- रूपये देय बताकर तथा 10764/- पूर्व भुगतान बताया जाकर 11540/- रूपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता का एरियर दिया गया। अतः अधिक भुगतान अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 5770/- रूपये प्रतिमाह से राशि 51930/- एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता 3800/- रूपये कुल 55730/- रूपये अधिक भुगतान किया गया जो कि सम्बंधित कर्मचारी से वसूल कर पालना से अवगत करावें।	
3	श्री ब्रज किशोर व्याख्याता को वेतनमान 2018 के एरियर में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का अनियमित भुगतान राशि 34544/-	कॉलेज लेक्चरार लाईब्रेरियन व पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2018 के तहत माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2018 का वेतन एरियर बिल संख्या 40 दिनांक 08/09/2019 के द्वारा भुगतान किया गया। जिसकी जॉच में पाया कि श्री ब्रज किशोर को मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर में पदस्थापन का मानकर 16 प्रतिशत देय बताकर भुगतान किया गया। जबकि इनकी सेवा पुस्तिका अनुसार श्री ब्रज किशोर इस महाविद्यालय में 10/7/2018 को उपस्थिति दी इससे पूर्व एस.डी महाविद्यालय ब्यावर में कार्यरत थे जो कि जेड श्रेणी का शहर था जहां पर 8 प्रतिशत व वेतनमान 2009 में 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय था। परन्तु वेतन एरियर में वाई श्रेणी स्थान पर पदस्थापन मानकर क्रमशः 16 प्रतिशत देय व पूर्व में 20 प्रतिशत दिया हुआ मानकर एरियर भुगतान किया गया तथा उक्त अवधि में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के अन्तर का भी भुगतान किया गया। जबकि ब्यावर में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं है। इस प्रकार माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 8 प्रतिशत दर से 5848/- रूपये मकान किराया भत्ता देय था तथा पूर्व में 2432/- रूपये दिया गया। इस प्रकार 3416/- रूपये एरियर प्रतिमाह देय था परन्तु 16 प्रतिशत दर से 11696/- रूपये देय बताकर तथा 4864/- पूर्व भुगतान बताया जाकर 6832/- रूपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता का एरियर दिया गया। अतः अधिक भुगतान अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक	34544/-

Scanned with CamScanner

		3416/— रूपये प्रतिमाह से राशि 30744/— एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता 3800/— रूपये कुल 34544/— रूपये अधिक भुगतान किया गया जो कि सम्बंधित कर्मचारी से वसूल कर पालना से अवगत करावें।	
4	श्री पवन चंचल व्याख्याता को वेतनमान 2018 के एरियर में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का अनियमित भुगतान राशि 35628/—	कॉलेज लैक्चरार लाईब्रेरियन व पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2018 के तहत माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2018 का वेतन एरियर बिल संख्या 40 दिनांक 08/09/2019 के द्वारा भुगतान किया गया। जिसकी जॉच में पाया कि श्री पवन चंचल को मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर में पदस्थापन का मानकर 16 प्रतिशत देय बताकर भुगतान किया गया। जबकि इनकी सेवा पुस्तिका अनुसार श्री पवन चंचल इस महाविद्यालय में 28/9/2018 को उपस्थिति दी इससे पूर्व राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में कार्यरत थे जो कि जेड श्रेणी का शहर था जहां पर 8 प्रतिशत व वेतनमान 2009 में 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय था। परन्तु वेतन एरियर में वाई श्रेणी स्थान पर पदस्थापन मानकर क्रमशः 16 प्रतिशत देय व पूर्व में 20 प्रतिशत दिया हुआ मानकर एरियर भुगतान किया गया तथा उक्त अवधि में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता के अन्तर का भी भुगतान किया गया। जबकि केकड़ी में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं है। इस प्रकार माह अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 8 प्रतिशत दर से 6024/— रूपये मकान किराया भत्ता देय था तथा पूर्व में 2851/— रूपये दिया गया। इस प्रकार 3173/— रूपये एरियर प्रतिमाह देय था परन्तु 16 प्रतिशत दर से 12048/— रूपये देय बताकर तथा 5702/— पूर्व भुगतान बताया जाकर 6346/— रूपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता का एरियर दिया गया। अतः अधिक भुगतान अक्टूबर 2017 से जून 2018 तक 3173/— रूपये प्रतिमाह से राशि 28557/— एवं जुलाई 2018 के 3271/— रूपये तथा शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता 3800/— रूपये कुल 35628/— रूपये अधिक भुगतान किया गया जो कि सम्बंधित कर्मचारी से वसूल कर पालना से अवगत करावें।	35628/—
5	श्रीमती स्नेह सक्सैना भूतपूर्व प्राचार्य को वेतनमान 2018 के एरियर में मकान किराया भत्ता व शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता का अनियमित भुगतान राशि 80,250/—	कॉलेज लैक्चरार लाईब्रेरियन व पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान नियम 2018 के तहत माह जनवरी 2017 से दिसम्बर 2018 का वेतन एरियर बिल संख्या 41 दिनांक 20/09/2019 के द्वारा भुगतान किया गया। जिसकी जॉच में पाया कि श्रीमती स्नेह सक्सैना को मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर में पदस्थापन का मानकर 16 प्रतिशत देय बताकर भुगतान किया गया। जबकि जीए 55 के अनुसार अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018 तक इन्हें मकान किराया भत्ता का पूर्व में पदस्थापित स्थान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य का ईयर मार्क क्वाटर होने से कोई भुगतान नहीं किया गया था। परन्तु उक्त	80250/—

Scanned with CamScanner

		अवधि में 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देय मानकर एवं पूर्व में 20 प्रतिशत दिया जाकर एरियर का भुगतान किया गया। जबकि श्रीमती स्नेह सक्सैना को इस अवधि में दिए गए मकान किराया भत्ता की अंतर राशि 80250/- रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है क्योंकि उन्हें पूर्व में कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया था उसी अनुसार इस अवधि में कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं था। परन्तु इन्हें अंतर बताकर भुगतान किया गया जो अनियमित है। अतः श्रीमती स्नेह सक्सैना को अनियमित भुगतान किए गए मकान किराया भत्ता राशि 80250/- रूपये वसूल कर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करावें।	
		महायोग	271890/-

अतः उपरोक्त सारणी के क्रम सं 1 से 5 अनुसार वेतन, विशेष वेतन, बोनस, समर्पित अवकाश एवं मानदेय की जांच अनुसार पायी गयी अनियमितताओं के संबध में कालम सं 3 व 4 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना/वसूली से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 5:- अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा पुर्नभरण बिल्स की जाँच :-

जाँच अवधि से सम्बन्धित कार्यालय के 20 प्रतिशत चिकित्सा पुर्नभरण बिल्स की विस्तृत जाँच की जिनमें निम्नानुसार अनियमितता पाई गयी:-

क्र.स.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	2	3	4
1	श्री श्याम कुमार शर्मा सहआचार्य	बिल संख्या 87 दिनांक 8/3/2020 द्वारा श्री शर्मा को Phaco Fold Hoya Vivinen-LE का उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 31,000/- रूपये के बिल का 15470/- रूपये भुगतान किया गया। चिकित्सा पुर्नभरण नियमों के अपेंडिक्स 11 नियम 7 के अनुसार अनुमोदित अस्पताल में इलाज करवाने पर सीजीएचएस द्वारा दर अनुमोदित होने पर उसका 80 प्रतिशत भुगतान किया जाना चाहिए था। सीजीएचएस की दरों के क्रमांक 156 पर Phaco With Foldable IOL की दर 11158/- रूपये अनुमोदित है। जिसका 80 प्रतिशत 8926/- रूपये भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार श्री शर्मा को 6544/- रूपये अधिक भुगतान किया गया, जो कि वसूल कर पालना से अवगत करावें।	6544/-
		महायोग	6544 रू

अतः उपरोक्त सारणी के चिकित्सा पुर्नभरण नियम के अनुसार क्रम सं 1 के संबध में पायी गयी अनियमितताओं के संबध में कालम सं 3 व 4 अनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना/वसूली से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 6 :- कार्यालय में संधारित वसूलियों के रजिस्टर की समीक्षा :-

कार्यालय द्वारा संधारित अंकेक्षक आक्षेपो वसूलियो के रजिस्टर जी.ए. 60 की जाँच की गई तथा महालेखाकार एवं निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच, आन्तरिक जाँच, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनो में अंकित वसूलियो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया। अतः सुझाव है कि कार्यालय द्वारा संधारित अंकेक्षक आक्षेपो वसूलियो के रजिस्टर जी.ए. 60 का विधिवत संधारण करवाया जावे तथा संबधित कार्मिक / पक्षकार से वसूली के संबध तत्काल कार्यवाही की जावे तथा यदि किसी

Scanned with CamScanner

अधिकारी/ कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण पर वसूली को उसकी अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र (L.P.C) में अंकित किये जावे। प्रकरण में पायी गयी अनियमितता संबध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करवा कर प्रगति/पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को सूचित करावें।

अनुच्छेद संख्या 7 :– सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/ राशि प्राप्त करने का अभाव राशि रू 5983138/- :–

कॉलेज द्वारा रूसा के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग को नवीन निर्माण व रिनोवेशन के लिए वर्ष 2016–17 व 2017–18 में राशि 1,40,00,000/– रूपये दिए गए जिसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 80,16,862/– रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवा दिए गए। शेष राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास बकाया है। इस सम्बंध में जानकारी अवगत करवायी गई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रिनोवेशन के कार्य करवाये जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया था। जिनके कार्य किए जाने बकाया है अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग से कार्य करवाया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जायें तथा शेष राशि प्राप्त कर पालना से निरीक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

उपसंहार

आलोच्य लेखा परीक्षा अवधि 2019–2020 हेतु प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय विद्यालय अजमेर कार्यालय में संधारित लेखाओं के आंतरिक निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया तथा तथ्यों की पुष्टि की गयी।प्रतिवेदन का भाग ।।। सूक्ष्म अनियमितताओं एवं प्रकियात्मक सुधार से सम्बन्धित है, अलग से जारी किया जा रहा है सुझाव एवं बिन्दुओ की अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्राचार्य
हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष
अजमेर

हस्ताक्षर दल प्रभारी

Scanned with CamScanner

भाग–III

इस भाग में उन बिन्दुओं पर जाँच टिप्पणी अंकित की जायेगी जो सूक्ष्म अनियमितताओं एवं प्रकियात्मक सुधार से सम्बन्धित है, इस भाग में अंकित सुझाव एवं बिन्दुओ की अनुपालना प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित सुधारात्मक उपाय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1 **पै मैनजर के माध्यम एवं आर टी जी एस के माध्यम से संबधित पक्षकार के बैंक खाते में भुगतान से संबधित बैंक विवरण को संबधित पक्षकार से प्रमाणितशुदा बैंक विवरण प्राप्त कर बिल की कार्यालय प्रति के साथ नत्थी करवाये जाने के संबध में:–**

आलोच्य लेखापरीक्षा अवधि में भुगतान की नमूना जांच एफ वी सी बिल के माध्यम से फर्म / सप्लायर्स को उनके बिलों का भुगतान पे मेनेजर के माध्यम से फर्म के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है लेकिन इस प्रकार से हस्तांतरित राशि की फर्म से प्राप्ति रसीद /बैंक से संबधित प्रमाणित विवरण संबधित वाउचर के साथ नत्थी नहीं किया गया है। इस प्रकार पे मैनजर के माध्यम से एवं आर टी जी एस के माध्यम से संबधित पक्षकार के बैंक खाते में भुगतान से संबधित बैंक विवरण को संबधित पक्षकार से प्रमाणितशुदा बैंक विवरण प्राप्त कर बिल की कार्यालय प्रति के साथ नत्थी नहीं किये जाते है।

अतः सुझाव है कि पे मेनेजर / आरटीजीएस / इ सी एस के माध्यम से पक्षकार के बिलों का पक्षकार के बैंक खाते में आनलाईन भुगतान के संबध में फर्म के बैंक विवरण को पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बिल में ही मुद्रित करवाया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे की फर्म द्वारा बिल पर अंकित विवरण अनुसार एफवीसी बिल से भुगतान किया जावे। यदि बैंक संबधी विवरण पक्षकार के बिल में अंकित नहीं किया जाता है तो फर्म से प्राप्त बैंक विवरण संबधी साक्ष्य का विधिवत अनुप्रमाणित दस्तावेज बिल की कार्यालय प्रति में भी संलग्न किया जावे/उचित प्रकार से रिकॉर्ड संधारण करवाया जावे।

2 **रोकड़िये / भण्डारपाल की प्रतिभूति (फिडिलिटी गारंटी बांड) का अभावः–**

सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 313 के अनुसार रोकड़पाल एंव भण्डार पाल का कार्य करने वाले कर्मचारी से फिडीलिटी गारंटी बांड प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार आलोच्य अवधि में रोकड़पाल द्वारा बिना फिडिलिटी गारंटी बांड प्रस्तुत करे रोकड़ संबधी कार्य सम्पादित किया जाना सूचित किया गया है । अतः फिडिलिटी गारंटी बांड रहित अवधि में राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि / चोरी गबन आदि नही होने का प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी कर पालना से निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर को पालना से अवगत करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD CITY DIVISION, AJMER

NO. DC. II/2020-21/ 3847 7/1/21 DATE

M/s Jai Ambey Construction,
Ajmer.

Sub:- **Construction of Toilet Block & Renovation Work in Govt. Girls College, Ajmer**

Ref : -**Your tender dated 29.12.2020**

Dear Sir,

Your tender for above mentioned work has been accepted on behalf of the Governor of the State of Rajasthan at your tendered rate of **@ 33.00 % Below BSR 2019** on The "G" Schedule amounting to Rs. **31,55,134/- (Rs. Thirty One Lacs Fifty Five Thousand One Hundred Thirty Four Only)** only by the undersigned.

Your are hereby directed to start the work and complete the work within **4 Month** please note that the time allowed for carrying out the work at entered in the tender shall be reckoned 10 days after the date of issue of this order to commence the work.

This letter of acceptance together with tender submitted by your embodying all condition therein constitutes contract **Agreement 141 No. of 2020-21** between you and the Governor of the State of Rajasthan for the aforesaid work.

Please attend office to sign agreement on stamp paper of **Rs. 7888.00.00 within 03 days** after issuing of this work order date & produce to short term permission for mining certificate before submitting the first running/final bill.

Date of commencement : 17.01.2021
Stipulated Date of Completion :16.04.2021

(Chandra Prakash)
Executive Engineer
PWD City Division Ajmer
Signed on behalf of the Governor
of the State of Rajasthan

NO. DC.II/2020-21/ DATE

Copy to :

1 E.E.PWD, S&QC Dn., Ajmer
2 Assistant. Engineer P.W.D City Sub Dn. II Ajmer necessary action. The actual date o commencement may please be intimated to division without any delay.
3 The Income Tax Officer, Ajmer
4 Ex. Eng. Mining Dept Ajmer
5 Auditor –II

(Chandra Prakash)
Executive Engineer
PWD City Division Ajmer

UC

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड अजमेर

उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. कार्य का नाम	:	Const. Of Room on F.F. of Library & C.C. Pavement Work at GGCA Ajmer
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाले विभाग का नाम एवं कमांक एवं दिनांक	:	प्राचार्य, राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय, अजमेर चैक सं. 866145 दिनाक 18.06.2018
3. बजट मद संख्या	:	8443 डिपोजिट तृतीय सिविल
5. स्वीकृत राशि	:	35.00 लाख
6. कुल व्यय	:	25,20,628.00

प्रमाणित किया जाता है कि आप द्वारा उक्त कार्य के पेटे जमा करायी गयी राशि 35.00 लाख में से राशि रू. 25,20,628.00का उपयोग कर लिया गया है। व्यय संबंधी समस्त वाउचर इस कार्यालय में उपलब्ध हैं जो कि जांच के समय प्रधान महालेखाकार के नियमित निरीक्षण के दौरान उपलब्ध करा दिये जावेंगे। शेष राशि रू. 9,79,372.00 है ।

(चंद्र प्रकाश)
अधिशाषी अभियंता
सा0नि0वि0 नगर खण्ड अजमेर

Shot on Y19
Vivo AI camera
2021.07.06 15:04

...सा.नि.वि.,नगर खंड,अजमेर

उपयोगिता प्रमाण पत्र

1	कार्य का नाम	: Construction of Tiolet Block & Renovation Work in Govt.Girls College, Ajmer.
2	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने वाले विभाग का नाम	: प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर
3	बजट मद संख्या	: 8443 डिपोजिट तृतीय
4	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं.दिनांक एवं राशि का विवरण	: 380 दिनांक 28.07.2020 कोषालय संदर्भ सं. 31458800 बिल सं. 36 दिनां 09.12.2020 : 61.61 लाख
5	कुल व्यय	: 46,76,087.00
6	शेष बचत राशि	: 14,84,913.00

प्रमाणित किया जाता है कि आप द्वारा उक्त कार्य के पेटे जमा करायी गयी राशि 61,61,000/–में से उक्त कार्य पर राशि रू. 46,76,087./– का उपयोग कर लिया गया है व शेष राशि रू. 14,84,913/– है। व्यय संबंधी समस्त वाउचर इस कार्यालय में उपलब्ध हैं जो कि जांच के समय प्रधान महालेखाकार के नियमित निरीक्षण के दौरान उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(देवेन्द्र सिंघल)
अधिशाषी अभियंता
सा0नि0वि0 नगर खंड,अजमेर

Reference No. : 37771629 | IFPMS Bill Reference No.: | PAYMENT ADVICE-3

Government Of Rajasthan
PD Payment Advice(Other than Salary and RPMF(Pensioner's Claims))

PD Account No. : 341 | Name of PD Account : Govt. Girls COLLEGE AJMER | Scheme : --NA-- | Month/Year : March/2022

Advice/Bill No.: 93 | Date : 16/03/2022 | DDO Code : 296 | Name of Administrator(s) :

Budget Head : 8443-00-123-00-00/ NA/ NA | ContigencyHead : | Office ID : 296 | TAN No. : JDHG04210D

To,
The Treasury/SubTreasury Officer,
Please Order to pay ₹ 1000000.00 as per PD PAYMENT ADVICE to the DDO/Beneficiary/Vendor Concerned.

Digitally signed by MANJULA MISHRA
Date: 2022.03.16 15:00:27 +05:30
Reason: MANJULA MISHRA
Location:

Sign of clerk | Sign of Jr. Acc/AAO-I/II | Sign (With Se[al]) n/ Digital ESign of DDO

Certificates:
1. Amount claimed in the bill/advice not earlier been drawn.
2. All the information, bank details in this advice has been checked and verified personally .
3. Certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of the claim included in this bill are strictly in accordance with rules and that the said Beneficiary/vendor are entitled to such claim and also personally ensured observance of all formalities regarding necessary entries.
4. This Claim /Amount has been drawn for the specific purpose as per the sanction/approval obtained at the competent level.

Digitally signed by MANJULA MISHRA
Date: 2022.03.16 15:00:27 +05:30
Reason: MANJULA MISHRA
Location:

Sign (With Se[al]) n/ Digital ESign of DDO

S.No.	Name of Beneficiary/vendor	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No.(Reference No.)	Bill/invoice No. Bill/Invoice Date TAN Number PAN Number	Deduction/Recovery Amt Budget Head(PD A/C) with Desc.	Gross Amt Net Amt

------------AS PER ANNEXURE ENCLOSED------------

PayManager IFMS

For Office Purpose

Sanction No. : 116 | Sanction Date : 04/03/2022

Sanction Amount : ₹ 1000000.00

For Accountant General office

Admitted(₹.) | Objected(₹.)

Auditor | Supdt. | Gaz. Officer

Treasury Voucher

No. : | Date:

For Treasury Use

Pay : ₹ 1000000.00
(In Words) : TEN LAKH ONLY
(In cash) : ₹ 1000000.00
(In Words) : TEN LAKH ONLY
By B.T. : Accounting : 0.00 | Non Accounting : ₹ 00.0
Total Credit RS. : ₹ 1000000.00

Auditor
AAO-I/II | Treasury/SubTreasury Officer ESign

Disclaimer:All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responisible for it.
S/W National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) GroupName : PD ACCOUNT

Forword Date & Time : 01/01/0001 00:01 AM
Print Date & Time : 16/03/2022 14:59:49

-- ANNEXURE --

S.No.	Name of Beneficiary/vendor	Name of Bank Name of Branch IFMS Code/MICR Code Bank A/C. No. Aadhar No.(Reference No.)	Bill/invoice No. Bill/Invoice Date TAN Number PAN Number	Deduction/Recovery Amt Budget Head (PD Acc /Division) with Desc.	Gross Amt Net Amt
1.	Executive Director RUDSICO	PUNJAB NATIONAL BANK/JAWAHAR NAGAR, JAIPUR PUNB0224600/ 2246000101030418 0(0)	116 04/03/2022 JDHG04210D AADCR0095E		1000000.00 1000000.00

Gross Amount : 1000000.00 Deduction Amount : 0.00 Net Amount : 1000000.00

Amount in Words : TEN LAKH ONLY

PayManager IFMS

Government of Rajasthan
STATE PROJECT DIRECTORATE
Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyaan (RUSA)
Telefax:0141-2712917; email: spdrusaraj@gmail.com

No: F30(16)SPD/RUSA/2016/1414 Date: 12 March 2018

ORDER

SUB: Release of Third and Final Installment of Rs 50 lakh each to 90 RUSA beneficiary Government Colleges of Rajasthan as Grant-in-aid for development of infrastructure under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) for the year 2017-18.

1. In accordance with MHRD approval in the 8th Project Approval Board (PAB) meeting vide order no F.No.24-7/2015-U.Policy dated 14.09.2015 and in the 9th Project Approval Board (PAB) meeting held on 1 December 2015, a sum of Rs **200 lakh** (Rs. two crore) was sanctioned to each of the following 90 RUSA beneficiary Government Colleges of Rajasthan as **infrastructure grant (Component 7)** under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) for the 12th plan period.

2. Against sanctioned amount, a sum of Rs 150 lakh (including Rs 90 lakh as Centre share and Rs 60 lakh as State share) has already been disbursed vide sanction orders no. F30 (16) SPD/RUSA/2016/ 216 & 217 dated 31st March 2016 , F30 (16) SPD/RUSA/2016/ 255 & 256 dated 17th March 2017 and F30 (16) SPD/RUSA/2016/ 298 & 299 dated 31st March 2017.

3. On submission of Utilization certificate, further, approval is here by granted to release a sum of **Rs 50 lakh (Rs Fifty lakh only, including Rs 30 lakh as Centre share and Rs 20 lakh as State share) as Third and Final Installment in 2017-18** to each of the following 90 institutions, in accordance with MHRD sanction orders no:

- **F.No24-47/2014-U.Policy(RJMulti -Gen), dated 18.12. 17**
- **F.No24-47/2014-U.Policy (RJMulti -SC) dated 18.12. 17**
- **F.No24-47/2014-U.Policy (RJMulti -ST) dated 18.12. 17 and**
- **Department of Higher Education, Government of Rajasthan sanction order No. P 18(2) Edu-4/2014 RUSA dated 06.03.2018**

(Rs. In Lakh)

Component 7 : Infrastructures Grant to Colleges							
S. No.	Benificiary		Amount Sanctioned for XII plan period	Amount Released till date	Third Installment to be released		
	Name of College	Place			Centre Share	State share	Total
1.	Government Meera Girls College	Udaipur	200	150	30	20	50
2.	Govt. Dungar College	Bikaner	200	150	30	20	50
3.	Janki Devi Bajaj Govt. Girls College	Kota	200	150	30	20	50
4.	Govt. College	Sirohi	200	150	30	20	50
5.	Govt. College	Ajmer	200	150	30	20	50
6.	Sanatan Dharm Govt. College	Beawar	200	150	30	20	50

UT 2/3

Government of Rajasthan
STATE PROJECT DIRECTORATE
Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyaan (RUSA)
Telefax:0141-2712917; email: spdrusaraj@gmail.com

1414/22-3-18

55.	Sangvi Matushri Pruibai Bhurmal Jain Govt. College	Sheoganj	200	150	30	20	50
56.	Govt. Girls College	Sirohi	200	150	30	20	50
57.	Govt. College	Thanagazi	200	150	30	20	50
58.	Govt. College	Uniara	200	150	30	20	50
59.	Multanmal Bhickchand Chajjer Govt. Girls College	Barmer	200	150	30	20	50
60.	Seth Ranglal Kothari Govt. College	Rajsamand	200	150	30	20	50
61.	Government Girls College	Ajmer	200	150	30	20	50
62.	G.D. Govt. College For Women	Alwar	200	150	30	20	50
63.	Raj Rishi College	Alwar	200	150	30	20	50
64.	Govt. College	Barmer	200	150	30	20	50
65.	SPM Govt. College	Bhopalgarh	200	150	30	20	50
66.	Govt. College	Bibirani	200	150	30	20	50
67.	Govt. Girls College	Bundi	200	150	30	20	50
68.	Govt. Girls College	Dausa	200	150	30	20	50
69.	M.A.J.Govt. College	Deeg (Bharatpur)	200	150	30	20	50
70.	S.B.P.Govt. College	Dungarpur	200	150	30	20	50
71.	Govt. College	Ratangarh	200	150	30	20	50
72.	Seth R.L Saharia Govt College	Kaladera, Jaipur	200	150	30	20	50
73.	Sh. P.S.B. Govt. College	Shahpura (Bhilwara)	200	150	30	20	50
74.	Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Govt. Post Graduate College	Kishangarh	200	150	30	20	50
75.	Govt. College	Kota	200	150	30	20	50
76.	Lal Bhadhur Shastri Govt PG College	Kotputli	200	150	30	20	50
77.	SBRM Govt PG College	Nagaur	200	150	30	20	50

UT 22/3

राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर
GOVERNMENT GIRLS' COLLEGE, AJMER
Phone No. 0145 2627645
Email: ggcajmer@gmail.com
Website:www.dce.rajasthan.gov.in/college/default.aspx
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
सत्र 2017–18

No.F ( ) GGCA/RUSA/2017-18/ Date :

REPORT OF RUSA CELL

1.Present Status of Essential Facilities in the College

Information Regarding 17 Essential Facilities in the College

The RUSA Cell of the college is working incessantly to upgrade various facilities in the college to create a congenial atmosphere for teaching learning experiences for the stakeholders. The cell is grateful to the authorities of higher education for their timely help and precious guidance. The college has received 1.5 crore as RUSA grant.

S.No	BASIC REQUIREMENTS	Whether available in college
1.	Seminar / Meeting Room (with Audio Visual Equipment installed)	YES
2.	Smart class room	YES 02 COMPLETE 05 DEVELOPING
3.	Smart Labs	The process has been initiated for their up gradation
4.	ICT Lab	YES
5.	Separate Girls Common Room and Toilet Facility	YES
6.	Differently abled friendly entrance and toilets	YES
7.	Pool of essential equipments in various labs of the institution as per list attached	YES
8.	Painting and plastering of building	YES
9.	Refurbishing and Repairing of equipments	YES
10.	Repairing of Electrical wiring with three phase power connection	YES
11.	Clean RO/ Filtered Drinking water facility	YES
12.	CCTV in the campus and monitoring unit in the Principal Chamber	YES
13.	Dedicated Leased line for net connectivity with Wi-Fi campus	YES
14.	Digitization and automation of Library	YES UNDER PROCESS
15.	Arrangement of e-learning software	YES UNDER PROCESS
16.	At least one outdoor sports ground	YES
17.	Adequate number of Fire Extinguishers	YES

NODAL OFFICER (RUSA)
GOVT.GIRLS CILLEGE,AJMER

PRINCIPAL
GOVT.GIRLS CILLEGE,AJMER

2.Present Physical Progress of Work

New construction hostel warden residence before & after

New construction LABORATORY before & after

New construction CLASS ROOMS SITE PROPOSED FROM SECOND INSTALLMENT

Renovation COLOUR ON BUILDING

Renovation RAMPS BEFORE

Renovation RAMPS AFTER

Renovation WATER FITTING COMPLETE

Renovation IDIGTAL CLASS ROOM FROM II INSTALLMENT

EQUIPMENTS GYM FOR GIRLS

EQUIPMENTS BOOKS

EQUIPMENTS ZOOLOGY LAB

EQUIPMENTS BOTANY LAB

EQUIPMENTS CHEMISTRY LAB

EQUIPMENTS PHYSICS LAB

EQUIPMENTS DRAWING LAB

EQUIPMENTS GEOGRAPHY LAB

EQUIPMENTS HOME SCIENCE LAB

EQUIPMENTS INVERTERS

EQUIPMENTS INTERACTIVE BOARD S

EQUIPMENTS   GREEN   BOARD S

EQUIPMENTS   PRINTERS

EQUIPMENTS   SEMINAR ROOM FURNITURE

EQUIPMENTS   SOLAR GEYSER 1

EQUIPMENTS   SOLAR GEYSER 2

EQUIPMENTS   STORAGE FACILITIES

3.Upgradation of Fund Tracker:

COMPLETED & It was updated on 09-09-2017

4.Financial achievements & final UC submission of more than 75% expenditure – U.C. Sent on 07-09-2017

5.Geo tagging-The college is regularly doing the work. Tagging has been done 25 times.

Last done 31-10-2017

6.Fund Tracker – COMPLETED RS 1,41,93,563

7. Best Practices **RUSA-DISHARI TIME TABLE**

STATE PROJECT DIRECTORATE
RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAAN

(RUSA-DISHARI)

SCHEME FOR CAPACITY BUILDING AND EMPLOYMENT ENHANCEMENT OF STUDENTS)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान सत्र 2017–18

TIME TABLE

DAY / /Batch	Batch A Room No 116		Faculty
TIME	2-00 to 3-00 PM	3-00 to 4-00 PM	
MONDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities **Ms Richa Sharma**
TUESDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	Mental Ability (Verbal &NonVerbal) **Sh Jitendra verma**
WEDNESDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
THRUSDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
FRIDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
SATURDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	

DAY / /Batch	Batch B Room No 119		Faculty
TIME	**2-00 to 3-00 PM**	**3-00 to 4-00 PM**	
MONDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities **Sh Narendra Kumar**
TUESDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	Mental Ability (Verbal &NonVerbal) **Sh Meet Sharma**
WEDNESDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
THRUSDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
FRIDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	
SATURDAY	Mental Ability (Verbal &NonVerbal)	Logical Reasoning & Numerical and Arithmetical abilities	

STUDENTS OF DRAWING DEPTT. WALL PAINTING OUTSIDE COLLEGE

EXHIBITION OF DRAWING DEPTT.

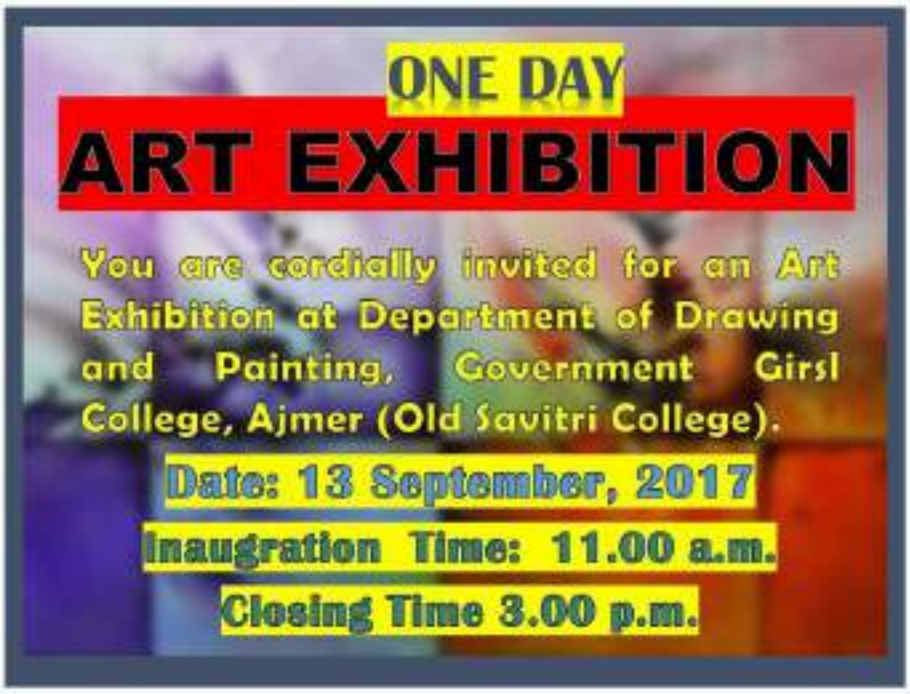

कला प्रदर्शनी में दिखाया छात्राओं ने हुनर

अस्पताल-स्कूल को सामग्री प्रदान की

दैनिक नवज्योति

छात्राओं के बनाए चित्रों की जीजीसीए में प्रदर्शनी

फैशन फेस्टीवल के पोस्टर का विमोचन

हनुमा

ONLINE FEEDBACK FORM : The college has develop a FEEDBACK FORM . ITS LINK IS SHARED ON WEB PAGE .

Any student can make feed back .

IT INITIATIVES, LIKE SMART CLASS, ONLINE ADMISSIONS

A. UG AND PG ADMISSIONS ARE DONE ONLINE THAT SAVES TIME,

B. UPER app

MANY STUDENTS HAVE DOWNLOADED THE APP AND ARE USING IT REGURALY

C. SEMINAR, SYMPOSIUM AND OTHER RESEARCH AND LEARNING INITIATIVES

MANY TEACHERS HAVE PUBLISH RESEARCH PAPERS AND HAVE ATTENDED SEMINAR AND SYMPOSIUM

A. STUDENT SUPPORT ACTIVITIES

THE COLLEGE ORGANISES VARIOUS STUDENT SUPPORT ACTIVITIES UNDER NSS, NCC, YDC ETC FOR THE OVERALL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS

A. **Dishari and entrepreneur and emploment fair –** committes have been formed for this purpose and they are working efficiently

B. **SPOKEN TUTORIALS :** College is planning to start class in Nov 2017.

UGC SCHEME

PURCHASE AND REPAIRING WORK UNDER UGC GRANT

GRANT	10 LACS
EQUIPMENT PURCHASED	5.0 lacs
BOOKS	3.0 lacs
REPAIR OF EQUIPMENTS	2 lacs

IQAC CELL

LEASE LINE CONNECTION	1.0 lacs

8. Leadership outcomes- The Principal and the vice principal provide excellent leadrship to the faculty, students and the college office-

1. **In last one year they have attended about 10 V.C.s.**
2. **They monitor class room teaching and records.**
3. **Conduct meetings with committee convenors and take feed back.**
4. **Held meetings with H.O.D.s time to time.**
5. **Interection with students.**
6. **successful conduction of student union elections**
7. **Taking cooperation from local industries for college development: Shree Cement helped in road construction.**
8. **Monitoring and guiding cocurricular activitiies.**
9. **Taking help from P.W.D.and Municipal corporation to finish various developmental activities.**